RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581 3528 ₹ 20

केशव संवाद

पौष-माघ विक्रम सम्वत् 2078 (जनवरी -2022)

आंदोलन और मीडिया

- किसने छिपाया किसान आंदोलन का सच?
- आंदोलन : कुछ सही, कुछ गलत
- हमारी धरोहर काशी विश्वनाथ
- बड़ी उम्र बढ़ा सकती है, अविवाहित का संकट

वृद्धों की मदद को बढ़ाया हाथ

दी दोगुनी पेंशन की सौगात

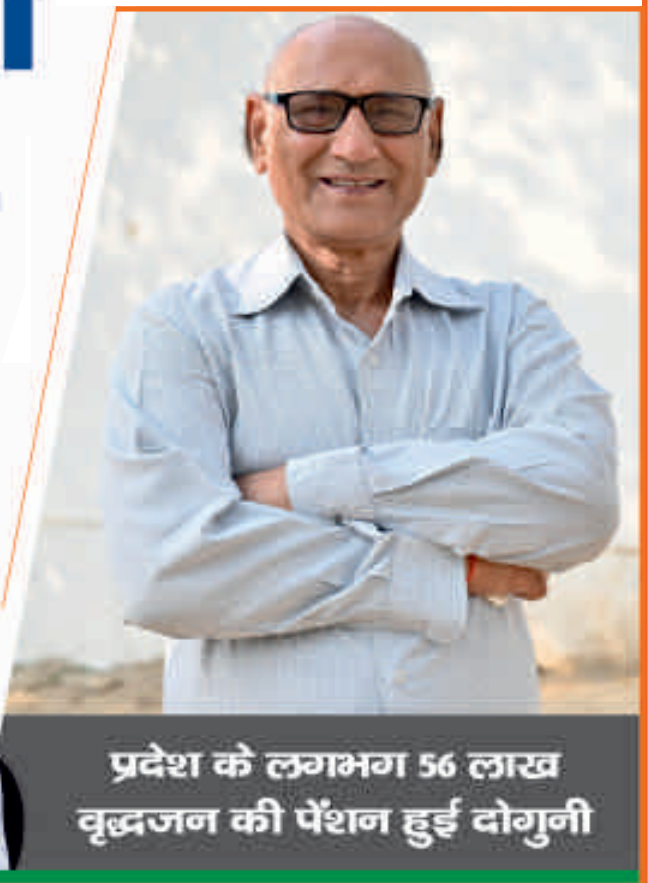

प्रदेश के लगभग 56 लाख
वृद्धजन की पेंशन हुई दोगुनी

सोच ईमानदार, काम दमदार

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

जनवरी, 2022
वर्ष : 22 अंक : 01

अध्यक्ष
प्रे. शो. सं. न्यास
अणंज कुमार त्यागी

संपादक
कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल
डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र,
डॉ. नीलम कुमारी, रामकुमार शर्मा
डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी
अनुपमा अग्रवाल

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन नं. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernanews.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से
मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा
चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि.
नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन
105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड
मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

किसने छिपाया किसान आंदोलन का सच ?	- बलवीर पुंज.....05
आंदोलन : कुछ सही, कुछ गलत	-पदम्श्री विष्णु पंडया....07
आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि	- रतन शारदा.....08
कितना जानते हैं हम अपने संविधान के बारे में?	- रंजना मिश्रा.....09
सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जलें	- अनुपमा अग्रवाल.....11
हमारी धरोहर काशी विश्वनाथ	- प्रो. हरेन्द्र सिंह.....12
आर्थिक विकास में मीडिया एवं आंदोलन की भूमिका	- डॉ. अखिलेश मिश्र.....14
लोकतांत्रिक आंदोलन और न्यायपालिका की भूमिका	- अश्वनी उपाध्याय.....16
आंदोलनों में मीडिया की भूमिका पर सवालिया निशान	-प्रो. अनिल निगम.....18
पुस्तक समीक्षा	-डॉ. प्रदीप कुमार.....22
पत्रिका के दिसम्बर अंक की समीक्षा	- डॉ. प्रियंका सिंह.....23
अखण्ड भारत का वृहत् स्वरूप	- डॉ. हेमेन्द्र राजपूत.....24
बड़ी उम्र बढ़ा सकती है अविवाहित का संकट	- प्रमोद भार्गव.....26
अचर्चित भारतीय महिला गणितज्ञ :नीना गुप्ता	- डॉ. नीलम कुमारी.....28
उत्सव मंथन	- नीलम भागी.....29
घातक है आंदोलनों में निवेशकों की बढ़ती भूमिका	- आशीष कु. अंशु.....31
भारत में आंदोलनों का इतिहास	- प्रतीक खरे.....32
बालासाहब देवरस	- मोहित कुमार.....34
मीडिया सुर्खियां	- डेस्क.....36
प्रेरणा दिवस	- डेस्क.....38

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया,'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail-com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय.....

आंदोलन अन्याय के खिलाफ बोध कराने का एवं स्फूर्ति के लिए किया गया सामूहिक संघर्ष है जो बहुत ही व्यवस्थित, संगठित एवं अनुशासित होता है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण किसान आंदोलन ने किसान एवं आंदोलन दोनों की छवि धूमिल की है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 26 जनवरी को राष्ट्र की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसका एकमात्र उद्देश्य विश्व पटल पर भारत को नीचा दिखाना था। एक ऐसा दृश्य जनमानस को देखने को मिला जिससे सबके मन में आंदोलनकारियों के प्रति घृणा, गुस्सा उत्पन्न हो गया और इससे संवेदनहीन आंदोलनकारीयों का आंदोलनजीवी रूप सबके समक्ष उजागर हो गया।

हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है जो शांतिपूर्ण एवं संयम के साथ हो। परंतु इस आंदोलन से सभी के समझ में आ गया कि यह पूर्ण नियोजित,विपक्ष दल द्वारा प्रायोजित, नफरत फैलाने के लिए किया गया प्रयास है। जिसमें निश्चित रूप से मीडिया की भूमिका पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। किसान का मुखौटा लगाकर देश विरोधी ताकतें भारत की छवि धूमिल करना और आपसी सौहार्द को समाप्त करना चाह रही। इन्हीं बातों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की जिससे विरोधी स्तब्ध रह गए।

वहीं देश हित में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय विवाह योग्य लड़कियों की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर बहुत ही सकारात्मक कदम है। शादी की उम्र में अन्तर की वजह से हमारे संविधान के कई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था जैसे समानता का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार आदि। भारत डब्ल्यूएचओ का अभिन्न अंग है और डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य के मद्देनजर शादी की उम्र 20 साल से ऊपर बताता है इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपनी इंटरनेशनल ट्रिटी का भी कहीं न कहीं उल्लंघन कर रहे थे। विवाह की दृष्टि से लड़की को शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से परिपक्व होना आवश्यक है।18 वर्ष की उम्र में वह शारीरिक रूप से भले ही परिपक्व हो जाए परंतु मानसिक तौर पर अपने सही गलत का निर्णय लेने में योग्य नहीं हो पाती। निश्चित रूप से समाज तभी परिपूर्ण होता है जब महिला व पुरुष मिलकर कार्य करते हैं। बेटियां आज शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। शिक्षित हो घर परिवार और समाज के विकास में अपनी आर्थिक भूमिका निभा रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस कानून के बदलाव मात्र से हर बेटी को शिक्षा में समानता का अधिकार मिल जाएगा?

कहते हैं सवाल ही आविष्कार की जननी है जैसे उठे हुए कुछ सवालों ने महिलाओं को शादी के समान उम्र का अधिकार दिया है वैसे ही सजग सरकार अगर हो तो समस्याओं का समाधान मजबूत निर्णय के साथ एक मुहर मात्र है।

देश की महिलाओं को नए कानून की बधाई

संपादक

ISSN No. 2581-3528

किसने छिपाया किसान आंदोलन का सच?

विगत एक वर्ष से जारी उपद्रव और संबंधित गतिविधियों को मीडिया का एक समूह, जो मार्क्स-मैकॉले चिंतन के निकट अधिक दिखता है और आज भी सार्वजनिक विमर्श को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता रखता है- उसने इस अराजकता को 'किसान आंदोलन' की संज्ञा दे दी।

बलबीर पुंज

देश की राजधानी दिल्ली से सटी सीमा पर वर्ष 2019 के 26–27 नवंबर से अराजकता का माहौल है। पिछले एक वर्ष से यहां की विचलित तस्वीरों को देश ने कई बार देखा है। इसी भीड़ द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक लालकिले के प्राचीर पर मजहबी झंडा लहराया गया था। उसी झुंड में उन्मादी लोगों ने, जो तब तलवारों और अन्य घातक धारदार हथियारों से लैस थे– सैकड़ों हजार ट्रैक्टरों पर सवार होकर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को मारने के उद्देश्य से रौंदने का प्रयास किया, उन पर नुकीले पत्थर फेंके और मारपीट तक की। न्यूज चैनलों पर ऐसे दृश्यों को देखकर देश के एक बड़े वर्ग का मन– क्षोभ और क्रोध से भर गया। यह किसी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था।

बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। देश ने दिल्ली–सीमा और उसके आसपास प्रदर्शनकारियों की तख्तियों, परिधानों और वाहनों पर खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तस्वीरें लगी देखी। भारत–हिंदू विरोधी नारों की गूंज सुनी। यहां तक, उसी जमघट से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने का खुलेआम आह्वान किया गया। कालांतर में देश ने वह बर्बर तस्वीरें भी देखी, जिसमें दलित लखबीर को सिख पंथ की बेअदबी के कारण न केवल निहंगों ने निर्ममता के साथ और असीम यातना देकर मौत के घाट उतार दिया, अपितु उसके शव को क्षत–विक्षत कर प्रदर्शनस्थल पर लटका दिया। इससे पहले एक महिला से सामूहिक बलात्कार की खबर भी आई थी, जिसमें छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है। इन सभी अराजकताओं पर वह विकृत समूह सुविधानजनक रूप से मौन रहा, जो मानवाधिकार, महिला–अधिकारों, संवैधानिक–लोकतांत्रिक मर्यादाओं आदि के नाम पर अक्सर आंदोलित रहता है।

विगत एक वर्ष से जारी उपद्रव और संबंधित गतिविधियों को मीडिया का एक समूह, जो मार्क्स–मैकॉले चिंतन के निकट अधिक दिखता है और आज भी सार्वजनिक विमर्श को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता रखता है– उसने इस अराजकता को 'किसान आंदोलन' की संज्ञा दे दी। 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद इन कानूनों को संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत पहले संसद द्वारा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति पश्चात निरस्त कर दिया गया।

करोड़ों किसानों के जीवन में उन्नति की लौ का कारण बने इन कृषि सुधार कानूनों, जिन्हें सितंबर 2020 में संसद से पारित किया गया था, उन्हें 'काला' बताकर जो तमाशा दिल्ली–सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष 2019 के नवंबर में शुरू किया गया था, वह उन कानूनों के निरस्तीकरण के पश्चात खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में, यह प्रदर्शन ना तो कृषि–हितों से सरोकार रखता है और ना ही किसानों द्वारा किया जा रहा है। विवाद तो विचारधारा का था, परंतु मीडिया के उसी वर्ग ने इस वैचारिक संघर्ष को किसान आंदोलन का नाम देकर प्रदर्शनकारियों के मूल उद्देश्य को छिपा दिया– जिसका मुखौटा कई अवसरों पर उतर भी चुका था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मीडिया का एक वर्ग, तथाकथित किसान नेता और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हो गई थी, जिन्हें सरकार मुआवजा दे। यह स्थापित सत्य है कि भड़काऊ वक्तव्यों, सड़क पर अवैध कब्जा करके वहां स्थायी निर्माण करने, अराजकता फैलाने और प्रधानमंत्री की हत्या की खुलेआम धमकी देने के बाद प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों ने कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु जवाबी–कार्रवाई में थोड़ा बलप्रयोग तो किया, किंतु किसी पर गोली नहीं चलाई। फिर

ISSN No. 2581-3528

इस संदिग्ध आंकड़ें में बताए मृतकों की मौत का वास्तविक जिम्मेदार कौन है? शायद ही मीडिया ने इस प्रकार मुआवजे की मांग करने वालों से यह प्रश्न पूछा होगा। इसका कारण प्रदर्शनकारियों का वह हिंसक व्यवहार भी हो सकता है, जिसमें उनके 'अनुकूल सवाल' नहीं पूछने वालों को 'गोदी–मीडिया' की उपाधि देकर उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। वर्ष 2019–20 के नागरिक संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों में भी यही परिदृश्य देखने को मिला था।

भारत में जब भी हम किसानों की बात करते हैं, तो एकाएक मन में एक सीधे–साधे, देशभक्त, संस्कारवान, धैर्यशील और अथक परिश्रमी व्यक्ति की छवि बन आती है। वह अपने खून पसीने से न केवल अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, साथ ही देश के लिए लाखों टन अनाज, दूसरे खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों की पैदावार करता है। यह सच है कि किसानों को दशकों से उनकी सतत मेहनत का वांछित लाभ नहीं मिल रहा है। स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से विभिन्न सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इससे कालांतर में दोनों ही क्षेत्रों के बीच विषमता–असमानता की खाई और गहरी हो गई। परिणामस्वरूप, किसानों और कृषि मजदूरों का जीवनस्तर गिरता चला गया। वर्तमान समय में कुल भारतीय श्रमिकों में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा– कृषि या उससे संबंधित कामगारों का है। 1950 में यह आंकड़ा कुल श्रमिकों का दो तिहाई से भी अधिक था, जिनकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भागीदारी 55 प्रतिशत से अधिक थी। सात दशक बाद भी इनकी संख्या राष्ट्रीय श्रमबल की आधी है, तो जीडीपी में उनका योगदान मात्र 17–18 प्रतिशत है।

इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु मोदी सरकार करोड़ों किसानों के जीवन को सुधारने और उनकी आय को वर्ष 2022 तक कम से कम दोगुना करने हेतु यह तीन कृषि कानून लाई। इसका उद्देश्य किसानों को आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मंडी के साथ बिक्री हेतु अन्य विकल्प देना और फसलों के विविधीकरण, जिसमें किसानों को धान–गेहूं की पारंपरिक खेती के अतिरिक्त आज के स्वाद अनुसार खाद्य पदार्थों की पैदावार करने हेतु प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना था। किंतु कृषि–सुधार विरोधियों के प्रदर्शन के बीच मीडिया के बड़े भाग ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा।

मीडिया के अतिरिक्त जिन लोगों ने भी तथाकथित किसान आंदोलन स्थलों का दौरा किया होगा, उन्हें प्रदर्शनकारियों की विलासपूर्ण जीवनशैली और अमर्यादित भाषा से झटका अवश्य लगा होगा। जितने भी पाठकों ने लोकप्रिय उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद (धनपत राय श्रीवास्तव) के साहित्य को पढ़ा है, उससे जो मानस में किसानों की एक तस्वीर उभरकर सामने आती है– वह कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वालों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। बड़ी–बड़ी गाड़ियां, कीमती मोबाइल, सड़क पर बनाए पक्के मकान, उसमें लगे हीटर, एयर कंडिशनर, कूलर, फ्रिज, टीवी, बिजली से चलने वाली मसाज मशीनें और पिज्जा जैसे पश्चिमी भोजन के दिनोंदिन चलते लंगर– किसान आंदोलन की वास्तविकता को उजागर करते हैं। इन विलासी सुविधाओं को लगातार एक वर्ष तक हजारों लोगों के लिए चलाने हेतु आवश्यक वित्तपोषण क्या देश का किसान वहन कर सकता है?

वास्तव में, यह आंदोलन यथार्थवादी आढ़तियों, बिचौलियों, दलालों और नव–धनाढ्य किसानों का था। इसे प्रत्यक्ष–परोक्ष रूप से और मौके की तलाश में बैठे खालिस्तानी तत्वों और जिहादियों ने अपना प्रयोगशाला बना लिया। इस विरोध–प्रदर्शन में मुंशी प्रेमचंद का किसान केवल मुखौटा था। परंतु मीडिया ने इस सच्चाई को जनता के समक्ष प्रमुखता से नहीं रखा, बल्कि उल्टा अराजकता, हिंसा, बलात्कार, हत्या और उत्तेजक अभद्र शब्दों आदि का प्रत्यक्ष–परोक्ष महिमामंडन किया। तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और भविष्य में इसके फिर से आने की संभावना बेहद कम है। स्पष्ट है कि जिस दुष्चक्र में किसान पिछले कई दशकों से फंसा हुआ है, उसकी जकड़ में वह अभी आगे भी रहेगा। इस दुखद स्थिति के लिए मीडिया का एक वर्ग भी जिम्मेदार है। क्या मीडिया का वह वर्ग अपने अपराध के लिए क्षमायाचना करेगा?

(लेखक, वरिष्ठ स्तंभकार, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय-उपाध्यक्ष हैं) ■

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर **FOLLOW** करें।

केशव संवाद

FACEBOOK

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

आंदोलन : कुछ सही, कुछ गलत

पदम्श्री विष्णु पंडया

हमारे संविधान निर्माताओं में से एक डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान प्रस्तुति प्रवचन में कहा था कि अब हम स्वाधीन लोकतंत्र देश है, अपना संविधान है। अब "अराजकता का व्याकरण" अर्थात् हड़ताल, घेराव, धरना, सत्याग्रह, बंद इत्यादि नहीं होने चाहिए। बाबासाहेब का विधान आदर्श लोकतन्त्र के लिए तो अच्छा था, लेकिन हम ऐसी कोई लोकतंत्रीय राज्यसत्ता की स्थापना सम्पूर्ण रूप से कर नहीं पाये। साथ ही साथ व्यक्ति के संस्कार का संवर्धन करने वाली शिक्षा भी समग्र देश के लिए आकारित नहीं हुई तो स्वाभाविक था कि असंतोष या अन्याय के विरुद्ध आंदोलनो का अस्तित्व रहा। इतना ही नही, आंदोलन के नाम पर निहित स्वार्थी लोगो ने आंदोलन शब्द की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया।

मैंने 50 वर्ष की पत्रकारिता में कुछ ऐसे आंदोलन भी देखे जिन्होंने सही अर्थों में राष्ट्रीय और लोकतन्त्र में आवाज उठाने के सही आदर्श को प्रस्तुत किया। 1968 में गुजरात के कच्छ जिले से पाकिस्तान की सीमा जुड़ती है। यहाँ दो बार पाकिस्तानी आक्रमण हुआ, जो राष्ट्रीय सरहदों पर भी एक साथ हुआ था। हमारे वीर सैनिकों ने कच्छ और राजस्थान से जुड़ी सरहदों पर सामना किया और सिंध की पाकिस्तानी जमीं पर भी कब्जा कर लिया। बाद में एक अंतरराष्ट्रीय आयोग संयुक्त महासभा ने गठित किया, उसके फैसले में कच्छ का हरियाला प्रदेश छाड़ बेट पाकिस्तान को सुपुर्द करने को कहा गया। वास्तव में ये तो 1947 से ही कच्छ का हिस्सा था। छाड़ बेट को इस प्रकार पाकिस्तान को देने के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ, जो एक महीने तक चला, सरहद पर पूरे देश से आयी हुई समितियों ने सत्यागह किया। जिसमें कच्छ के राजवी महाराव, अटल बिहारी वाजपेयी, बेरिस्टर नाथपाई, राजमाता विजया राजे सिंधिया, मधु लिमये, बलराज मधोक, जॉर्ज फर्नांडीस, जगन्नाथराव जोशी, लाड़ली मोहन निगम, गुजरात से सभी विरोधी दल के नेता... सभी आए, लोगों को संबोधित किया, सत्याग्रह किया, जेल गए। सुदूर असम से हेम बरुआ आए थे। अर्थात् 1968 में पहली बार सभी विरोधी दलों का इकट्ठा होना, आने वाले दिनों में एक संयुक्त शक्ति के रूप में उभरने का संकेत था। वाजपेयी तब देर तक चल रही जन सभाओं में अंतिम वक्ता होते। अपने उद्बोधन का प्रारम्भ देश–दर्शन से शुरू करते **"ये देश कोई जमीं का टुकड़ा नही है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिस का मस्तक है, गौरीशंकर शिखा है, कश्मीर जिसका किरीट है, पंजाब और बंगाल विशाल कंधे है। दिल्ली जिसका दिल है, विंध्याचल जिस की कटि है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट उस के पंजे है। सागर जिसके चरण धुलाता है, मलयानल जिस पर विजन डुलाता है। सावन के काले काले मेघ जिसकी कुंजल केश राशि है। यह देवताओं की भूमि है, यह ऋषि मुनियों की, तीर्थंकरों की, अभ्यंकरों की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इस की नदी–नदी हमारे लिए गंगा है, इस का कंकर–कंकर हमारे लिए शंकर है, इस का कण–कण हमारे लिए पवित्र है। इस का जन–जन हमें प्यारा है। यह विराट राष्ट्र पुरुष खड़ा है, शताब्दियों की पूंजी को संजोता हुआ। हम उस के लिए जियेंगे, हम उस के लिए मरेंगे। हमारी हड्डियां गंगा के प्रवाह में बहायी जाएगी तब भी पुकारेगी। भारत माता की जय"**

ठीक उसी प्रकार एक बड़ा आंदोलन 1975 में आपातकाल और सेंसर शिप के विरुद्ध हुआ। 1 लाख, 10 हजार लोग मीसा के अंतर्गत जेलों मे गए। तब भी जय प्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीस, पीलू मोदी, चन्द्र शेखर, लाल कृष्ण आडवाणी सहित नेतृत्व की ताकत बनी और 1977 के चुनाव में पहली बार केंद्र में कॉग्रेस का शासन समाप्त हुआ। इस आपातकाल में हम भी एक वर्ष तक जेलवासी थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री भूगर्भ में रह कर भूगर्भ पत्रिकाए, सत्याग्रह, रणनीति में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे। गुजरात में आपातकाल के विषय में उनकी पुस्तक "संघर्ष मा गुजरात" दर्शाती है कि लोकतन्त्र के लिए ये आंदोलन कितने कष्ट सहन करते हुए आगे बढ़ा था। मेंने भी उन दिनों की संघर्ष कथा "मीसावास्यम" लिखी।

अब देखिये वर्तमान आंदोलन। किसान आंदोलन, शाहीन बाग, और भी कुछ निरर्थक आंदोलन। कभी संसद में और संसद के बाहर प्रदर्शन... सभी तथाकथित "अन्याय के खिलाफ" और तथाकथित "लोकतन्त्र को बचाने के लिए"! उस के पीछे कौन सा खेल रहा, सभी सामान्य आदमी जानते है। कुछ लोगों के लिए तो ये "पिकनिक स्थान" बन गए!

कच्छ करार विरोधी आंदोलन, गौहत्या विरोधी प्रदर्शन, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन और सत्याग्रह, असम आंदोलन... .ये सभी आदर्श से जुड़े राष्ट्र और लोकतन्त्र को अधिक निरोगी और मजबूत बनाने वाले आंदोलन रहे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे आंदोलन ज्यादा नहीं हैं जो देश प्रेम और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हों।

(लेखक गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि

आज जन आंदोलन राष्ट्रहित या समाज हित में कम और किसी न किसी निहित स्वार्थ, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारों पर और उनके साधनों के सहारे या राजनैतिक अस्थिरता फैलाने के लिए चलाए जा रहे हैं। वामपंथियों, विशेषत: माओवादियों का स्वार्थ है कि भारत के टुकड़े हो जाएँ, जो कि उनका 1946 से स्वप्न रहा है।

रतन शारदा

यदि हम अहिंसक आंदोलन की बात करें तो यह अंतरराष्ट्रीय समाज को भारत की या कहें तो गांधी जी की देन है। दक्षिण अफ्रीका से भारत और भारत से अमरीका और फिर सारे विश्व में इसका सार्थक उपयोग हुआ। चाहे वह नेल्सन मंडेला हों, या मार्टिन लूथर किंग या फिर आज के 'green' आंदोलन हों। सत्य का आग्रह अहिंसक रूप से रखना और राज्य व्यवस्था के मानवीय पहलू का आव्हान करते हुए अपनी बात रखना यह अब सर्वमान्य हो गया है। महाड का डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का हृदय झकझोरने वाला सत्याग्रह कौन भूल सकता है।

यद्यपि स्वतंत्रता के बाद डॉ आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि अंग्रेजों के समय उपयोग किए गए हिंसक और अहिंसक मार्ग विधि द्वारा मान्य हों तो भी अब वे उचित नहीं हैं। अब हमें मात्र न्यायालयों द्वारा अपने कार्य करवाने चाहिए। परंतु आज भी इस हथियार का उपयोग उचित–अनुचित हर कार्य के लिए हो रहा है। दो उदाहरण हम दे सकते हैं, जहां अहिंसक आंदोलन का मार्ग सत्य के लिए संघर्ष था– आपातकाल हटाकर प्रजातन्त्र को पुनर्स्थापित करना और चिपको आंदोलन।

आज जन आंदोलन राष्ट्रहित या समाज हित में कम और किसी न किसी निहित स्वार्थ, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारों पर और उनके साधनों के सहारे या राजनैतिक अस्थिरता फैलाने के लिए चलाए जा रहे हैं। वामपंथियों, विशेषतः माओवादीयों का स्वार्थ है कि भारत के टुकड़े हो जाएँ, जो कि उनका 1946 से स्वप्न रहा है। इनके जेएनयू और जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे केंद्र हैं। इस्लामी कट्टरवाद और उसकी राजनैतिक विचारधारा के समर्थक देश को अपने हरे झंडे तले लाने के सपने देख रहे हैं और सीएए (नागरिकता अधिनियम) जैसे विषयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफा कुप्रचार इस बारे में हम देख चुके हैं, जो अंतरराष्ट्रीय माध्यमों ने प्रतिध्वनित किया। जिसके कारण भारत की अत्यंत नकारात्मक छवि बनाई गई। विचित्र बात है कि इस कानून में कोई भी प्रावधान नागरिकता छीनने का नहीं, न ही भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है। फिर भी यह आंदोलन विदेशी पैसों और भारत विरोधी शक्तियों के सहारे और राजनैतिक विद्वेष से चलाया गया।

किसान कानूनों को देखें तो हमने पाया कि देश विरोधी खालिस्तानी तत्वों ने इसमें घुसपैठ की। इतना ही नहीं उन तत्वों की घिनौनी हरकतों को किसी आंदोलनकारी और उनके सहयोगियों ने निंदा करने से किनारा काटा। यह कैसा आंदोलन था जिसमें किसान के मुद्दों के बहाने लोग अपनी अपनी राजनैतिक रोटी सेकने आ गए। नक्सल लोगों को छुड़वाने के पक्षधर, सीएए समर्थकों के झुंड, देश के टुकड़े चाहने वाले तत्व सभी वहाँ पहुँच गए। कनाडा, जो कि अपने किसानों को आर्थिक मदद (subsidies) देता है, और भारत के 6000 रुपये प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि का विरोध करता है, वही किसान आंदोलन का समर्थन करता है, यह आंदोलनों को अंतरराष्ट्रीय खुली या छिपी हुई सहायता मिलने का संकेत है।

वहीं व्यवसायी एनजीओ (स्वयंसेवी संस्थाएं) देश के विकास को रोकने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्य में निमग्न हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय चर्च और बहुराष्ट्रीय संस्थाएं, तथाकथित थिंक टैंक, और चीन जैसे देशों का बड़ा सहयोग है। स्मरण करें किस तरह Sterlite तांबे के कारखाने को बंद करवाया गया। इस आंदोलन के पीछे चर्च के अगुआ थे, साथ में तथाकथित स्वयंसेवी संगठन। इसका लाभ चीन को हुआ, क्योंकि देश की तांबे की 40 प्रतिशत आवश्यकता केवल यह कारखाना पूरी कर रहा था।

पर्यावरण के नाम पर देश के सभी विकास कार्यों को चुनौती देना, रोकना, कुछ बस न चले तो कानून और न्यायालय के द्वारा उनको जहां तक हो सके हानि पहुंचाना, धीमा करना यह सब हम नर्मदा आंदोलन से लेकर और योजनाओं में देख चुके हैं। सबसे विचित्र चुनौती अभी दी गई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उत्तराखंड के मार्गों को।

भारत की वैज्ञानिक उन्नति रोकने को अंतरराष्ट्रीय शक्तियां कैसे प्रयत्नशील रही हैं हमने कई अनुभव किए हैं। 'क्रीओजीनिक' इंजन को रोकने के लिए कुत्सित षड्यन्त्र रचे गए, और यह भी कहा गया कि यह पैसे व्यर्थ खर्च हो रहे हैं। यही कथानक अंतरिक्ष और अस्त्र शस्त्र निर्माण के समय किए गए। वहीं कुंडकुलम आणविक ऊर्जा केंद्र को बंद करने के लिए उग्र आंदोलन चलाए गए। यहाँ फिर चर्च और तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों का हाथ रहा, जिसमे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी सहयोग दे रहे थे। यही हाल रत्नागिरी में ऊर्जा योजनाओं के विरुद्ध आंदोलन करके किया गया।

आंदोलन करने वाले वैधानिक अधिकारों की दुहाई देते हैं। परंतु क्या मुट्ठी भर लोगों के दुराग्रह पर करोड़ों लोगों के जीवन दूभर बनाने का अधिकार किसी को है? क्या उनके कोई अधिकार नहीं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1948 में बंदी हटाने के लिए अभूतपूर्व सत्याग्रह किया। 1942 आंदोलन से अधिक सत्याग्रही कारागार में गए। परंतु सामान्य नागरिक को कोई कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखा। साथ ही किसी प्रकार कि हिंसा को प्रयत्नपूर्वक नहीं होने दिया। और सरकार को झुकना पड़ा। परंतु आज हम फिर आंदोलन के नाम पर भारत की प्रगति को पीछे ढकेलने के प्रयत्न नए सिरे से बढ़ते देख रहे हैं।

जब भी कोई आंदोलन होता है, तब हम उन बड़ी सुर्खियों के पीछे चल रहे खेल को भी समझें, परखें और लोगों को शिक्षित करें। जहां सत्य हो, उसका साथ दें। जहां फरेब हो, षड्यन्त्र हो, देश को रोकने और तोड़ने के प्रयत्न हो वहाँ उसके विरुद्ध खड़े हों। जो लोग अंतरराष्ट्रीय शक्तियों और मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, या जो उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने निहित स्वार्थों की रोटियाँ सेक रहे हों, उनके कुचक्रों को उजागर करें, तभी हमारे जनतंत्र को हम सार्थक करते हुए उज्वल भारत के स्वप्न को पूर्ण देख पाएंगे।

(लेखक आरएसएस विचारक और लेखक हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

कितना जानते हैं हम अपने संविधान के बारे में ?

रंजना मिश्रा

संविधान का निर्माण जिस मूल भावना के साथ हुआ था, धीरे–धीरे राजनीतिक स्वार्थों के चलते उस मूल भावना को पीछे धकेल दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने ये तय किया था कि देश अब संविधान के हिसाब से चलेगा और हमारा अपना संविधान होगा। किसी आसमानी धार्मिक किताब या किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार देश नहीं चलेगा, संविधान देश की सबसे पवित्र पुस्तक है, ये बात आज तक देश का नागरिक समझ ही नहीं पाया। गीता का सार तो हम सभी को पता है कि 'कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो।' पर हममें से शायद कुछ ही लोगों को संविधान का सार पता होगा, जो ये था कि 'स्वतंत्रता, समानता और न्याय ही हमारे शासन का आधार है। आज सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। आज रंगों का बंटवारा हो चुका है। हरा रंग मुसलमान का हो चुका है। भगवा रंग हिंदू का हो चुका है। भोजन बंट गए हैं। बिरयानी मुसलमान की हो गई है, खिचड़ी हिंदू की हो गई है। पक्षियों को भी हम धर्म के आधार पर देख रहे हैं। धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा होने के बाद भी संविधान निर्माताओं ने ये सोच लिया था कि हिंदू–मुस्लिम की समस्या अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला बंटवारा, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सांप्रदायिक बंटवारा था। जो लोग ये कहते हैं कि ये मुद्दा अब पैदा हो रहा है, दरअसल ये वो मुद्दा है, जिस पर देश दो टुकड़ों में बंट चुका है। सोचने की बात है कि ये उस समय कितना बड़ा मुद्दा रहा होगा, जिसने देश को ही तोड़ दिया था। लेकिन देश टूटने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा था कि अब ये समस्या शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनसंख्या को अलग देश दे दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान अलग होने के बाद भी भारत से, भारत की राजनीति से ये मुद्दा अलग नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान का सीमा बंटवारा तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी अपने राजनीतिक एजेंडे के कारण हमारे साथ चिपका हुआ है। देश के लोग बंटते चले गए और देश में आज भी एकता की कमी महसूस होती है। अगर किसी साधारण व्यक्ति को भगवद्गीता दी जाए तो वो उसे माथे से लगा लेगा, लेकिन उसी व्यक्ति को यदि भारत का संविधान दिया जाए तो वो शायद आश्चर्य से यही पूछेगा कि मैं इसका क्या करूं? आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं ? दरअसल हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान को शासन की गीता बनाने से चूक गए हैं। देश के सबसे कमजोर आदमी के जीवन में संविधान का असर पहुंचा ही नहीं है। हम अदालत में गीता की कसम लेकर सच बोलते हैं, पर संविधान को लेकर वो भावना देश के नागरिकों में जन्म ही नहीं ले सकी।

26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किए जाने के बाद एक विशेष कागज पर हाथ से लिख कर इसे तैयार किया गया था। इस विशेष कागज की उम्र करीब 1000 वर्ष है, यानी 1000 वर्षों तक ये सुरक्षित रहेगा। 251 पन्नों पर लिख कर तैयार की गई संविधान की इस कॉपी का वजन करीब 4 किलोग्राम है। संविधान की इस कॉपी पर ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 292 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों में कुल 53 हजार लोग शामिल हुए। संविधान सभा को इसे पास करने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। संविधान का ड्राफ्ट बनाने से पहले संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव के निर्देशन में 40 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है और इसके मुकाबले भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और अमेरिका के संविधान से 5 गुना बड़ा है। हमारे देश के नेता संविधान के बारे में कभी बात नहीं करते और ना ही कभी देश के नागरिकों को इसके प्रति जागरूक करते हैं। इसलिए देश के आम नागरिकों को संविधान के बारे में जानकारी बहुत कम है। इसका अपवाद वर्ष 2010 में मिलता है। संविधान को अपनाने के 60 वर्ष पूरा होने के मौके पर गुजरात के सुरेंद्रनगर में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब संविधान की एक बड़ी कॉपी को हाथ में लेकर पूरे शहर में ये यात्रा निकाली गई थी। इस संविधान गौरव यात्रा की तुलना एक जैन विद्वान आचार्य हेमचंद्राचार्य को दिए गए सम्मान से की जाती है। उन्होंने प्राकृत भाषा के व्याकरण के एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है 'सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन' कहा जाता है कि आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व गुजरात के ही पाटन शहर में राजा सिद्धराज ने इस ग्रंथ को हाथी पर रखकर धूमधाम से एक यात्रा निकाली थी। लेकिन आम लोगों के बीच संविधान को प्रचलित करने के प्रयास हमेशा कमजोर रहे।

वर्ष 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद संविधान सभा के सदस्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिले और उनसे पूछा कि वह संविधान में क्या चाहते हैं? तब उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों से कहा था, 'मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी आपने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा'। गांधी जी के इस जंतर से स्पष्ट है कि वो चाहते थे कि संविधान सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखे। ऐसी कोशिश भी हुई, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 370 और आरक्षण जैसे मुद्दे रखे गए और बाद में उनका जिस तरह प्रयोग किया गया, वो देश में एकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।

अक्टूबर 1949 में संविधान सभा में आर्टिकल 306 ए पर चर्चा हुई

ISSN No. 2581-3528

थी बाद में इसका नाम बदलकर आर्टिकल 370 कर दिया गया। एन गोपालस्वामी अयंगर ने इस आर्टिकल का मसौदा तैयार किया था, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इसमें कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक मौलाना हसरत मोहानी ने एक सवाल पूछा था कि ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इस पर अयंगर ने जवाब दिया था कि जम्मू–कश्मीर दूसरे राज्यों की तरह भारत में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए भेदभाव किया जा रहा है। अगर संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 से जम्मू–कश्मीर को तब विशेष दर्जा नहीं दिया होता तो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अनुच्छेद 370 का और जम्मू–कश्मीर का विवाद होता ही नहीं। इसी तरह से संविधान सभा में आरक्षण के मुद्दे पर भी बहस हुई थी। मई 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की बहस के दौरान कहा था कि, 'मेरी इच्छा ये है कि हम ऐसे समाज की रचना करें, जहां हर जाति के लिए समान मौके हों, ऐसी स्थिति में जाति के आधार पर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी'। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के आरक्षण को लेकर ये विचार थे, यानी वर्ष 1949 में ही बहुत से ऐसे लोग थे, जो मूल रूप से जाति के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे। आरक्षण को लागू करने की सबसे बड़ी वकालत डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। उन्होंने कहा था, आरक्षण के जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त होंगे। हालांकि डॉ. अंबेडकर भी यह मानते थे कि आरक्षण की व्यवस्था स्थाई नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था का हर 10 वर्ष में मूल्यांकन होना चाहिए और जरूरत पूरी होने पर इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया और आरक्षण का फार्मूला अब चुनाव में वोट पाने का फार्मूला बन गया है। होना तो ये चाहिए था कि हर 5 साल में सरकारों को ये बताना चाहिए था कि कैसे आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और उनका लक्ष्य यह है कि एक दिन देश में आरक्षण की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को ना रह जाए। सरकारों को इसी लक्ष्य की ओर चलना चाहिए था, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। हमारे देश की सरकारें लोगों को खुश करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए हर 5 साल बाद आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ाती चली गईं। आजादी के 74 वर्ष बाद अब ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए थी, जब सरकार ये कह सके कि अब हमारे देश में एक भी नागरिक ऐसा नहीं बचा जिसे आरक्षण की जरूरत पड़े।

संविधान लोगों में भगवत गीता की तरह लोकप्रिय नहीं हो पाया, इसकी कुछ वजह हैं। सविधान के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है कि राज्यों को समान आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विकास करना चाहिए, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं। 2019 तक देश में तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं को कष्ट देता रहा। ये संविधान के खिलाफ था, पर तुष्टीकरण की वजह से ये सब होता रहा। 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। आजादी मिलने के बाद हम आर्थिक रूप से एक गरीब देश थे और आज 74 वर्षों के बाद भी देश में करोड़ों लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। देश में आज भी सच्चे अर्थों में समानता नहीं आई। देश के अलग–अलग राज्य धर्म और जाति के आधार पर आज भी अपनी जनता के साथ भेदभाव करते हैं। देश में सभी व्यक्तियों को आजादी है, लेकिन जब मीडिया अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है तो कुछ राज्य सरकारें पत्रकारों को जेल में डाल देती हैं। संविधान एक ईमानदार देश की कल्पना करता है, लेकिन देश में भ्रष्टाचार एक आदत बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है 'ना खाऊंगा न खाने दूंगा।' ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक लिया गया है लेकिन निचले स्तर पर अब भी देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है।

डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 'संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा ही साबित होगा और अगर संविधान बुरा है पर उसका इस्तेमाल करने वाले अच्छे लोग होंगे तो संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा।'

वास्तव में जिन विचारों को लेकर संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था वो आजादी के इतने वर्षों बाद कहीं ना कहीं पीछे छूट चुके हैं। आज संविधान को अपने–अपने हिसाब से पेश किया जाता है। आज भी हमारे देश से सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां समाप्त नहीं हो पाईं। अभिव्यक्ति की आजादी का अनुचित प्रयोग किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भी अपने स्वार्थ के हिसाब से की जाती है। लोकतंत्र अब भीड़तंत्र बनता जा रहा है और देश में कुछ लोगों के अधिकार दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये सब देख कर एक आम नागरिक के मन में यही सवाल उठता है कि क्या हमारे देश का संविधान सही है? क्या इसका पूरी तरह से पालन हो रहा है और क्या इसके अनुरूप देश सही तरह से चल पा रहा है?

(लेखिका) ■

ISSN No. 2581-3528

सेवा है यज्ञ कुंड,समिधा सम हम जलें

अनुपमा अग्रवाल

वैदिक संस्कृति में सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके अंतर्गत अर्थदान और समय समर्पण दोनों समाहित हैं, साथ ही सेवा को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग माना गया है। 'सेवा परमो धर्मः' को ध्येय वाक्य मानकर चलने वाले रत्नेश कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर, जो कि यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र भी है 2016 में, 'यूथ यूनीटेल वेलफेयर सोसायटी' नामक संस्था की स्थापना की, जो गोरखपुर में आमजन के मध्य 'युवा इंडिया' के नाम से जानी जाती है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित बस्तियों में शिक्षा की अलख जगाती इस संस्था के संस्थापक रत्नेश तिवारी ने अकेले ही उस राह पर चलने का संकल्प लिया जो पहले से ही कठिनाइयों से भरी हुई थी।पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रत्नेश जी अनेकों परेशानियों से जूझते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां वह गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जुनून के लिए उनका नौकरी से त्यागपत्र देना आत्मसंतुष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं था।

सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले रत्नेश जी को कम उम्र से ही बच्चों को टयूशन पढ़ाने का शौक था, जो बड़े होकर जुनून में बदल गया।दिल्ली से मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (MCA) करने के दौरान खाली वक्त में, आपने अपने आसपास की बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आरम्भ कर दिया था। इसी दौरान आपके मन में अपने गृह जनपद गोरखपुर में निरक्षर बच्चों की शिक्षा का विचार आया। आपने अपने इसी विचार को मूर्त रूप देने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे गोरखपुर का रुख कर लिया। प्रारंभ में जब आपने लोगों को अपने जुनून के बारे में बताया तो, लोगों ने न केवल मनोबल को गिराया बल्कि जुनून के लिए नौकरी छोड़ने को मूर्खतापूर्ण कदम भी बताया। परन्तु हठी स्वभाव के रत्नेश जी ने हार नहीं मानी और 2016 में गोरखपुर की रुस्तमपुर बस्ती के दो भाई बहिन जिनकी उम्र लगभग 9 और 6 वर्ष रही होगी, को खुले आसमान के नीचे पढ़ाना प्रारंभ कर दिया।

किसी भी अच्छे कार्य में अड़चनें आती ही हैं, सो रत्नेश जी को भी इस सेवा कार्य में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बस्ती के लोग न् केवल उनका विरोध करते थे बल्कि बच्चों को कक्षा में भेजने की बजाय काम पर भेज देते थे। कई बार दो चार बच्चे कक्षा में आ भी जाते तो स्थानीय लोग उस स्थान पर सुअरों को छोड़ देते थे ताकि शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो। यहां तक कि वे लोग कक्षा का सामान तक चुराकर ले जाने लगे। कई बार तो इलाके के दबंगों ने रत्नेश जी को पिटाई की धमकी भी दे डाली,परन्तु रत्नेश जी ने इन सब परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि उनका डट कर मुकाबला किया और अपने कार्य में डटे रहे। इस सब के अतिरिक्त उन्हें आर्थिक रूप से भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। कुछ बच्चे जो दुर्व्यसन का शिकार हो गए थे उन्हें उससे बाहर निकालकर शिक्षा के लिए तैयार करना अपने आप में एक कठिन कार्य था। इन सब परेशानियों का सामना करते हुए वर्तमान में, 'अक्षर मुहिम पाठशाला' नाम से गोरखपुर की 14 बस्तियों में चलने वाली इन कक्षाओं में 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि विगत पांच वर्षों में 150 से ज्यादा बच्चों को शहर के विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलवाया जा चुका है जिनमें से 46 बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गतवर्ष कोरोना काल के चलते स्कूल बंद रहने के बावजूद इसके हाईस्कूल के तीन बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर रत्नेश जी का न् केवल मनोबल बढ़ाया बल्कि सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा का संचार किया।

जुनून को पूरा करने की राह पर अकेले निकले रत्नेश जी के पीछे आज 80 लोगों का जन सैलाब जुड़ चुका है। प्रारंभ में नौकरी में अपने साथ कार्य करने वाले 10 लोगों का विशेष सहयोग मिला, ततपश्चात पुनीत अग्रवाल जो कि गोरखपुर में इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग कराते हैं, ने आर्थिक रूप से सहायता करने के साथ रत्नेश जी का कदम कदम पर हौसला बढ़ाया, व सुधा मोदी जो कि पेशे से व्यवसायी व समाजसेवी हैं, वह विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से पाठशाला व बच्चों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन भी करती हैं।

वर्तमान में राष्ट्रविरोधी ताकतें देश में ,शहरों की वंचित बस्तियों के मध्य आर्थिक रूप से कमजोर व अशिक्षित लोगों को धन का लालच देकर या ईश्वर का भय दिखाकर उनके धर्म परिवर्तन की गहरी साजिश रच रही हैं तथा उनके युवा बालकों को दुर्व्यसन का शिकार बना काल के मुँह में धकेल रही हैं, ये स्थिति भविष्य में भारत के लिए गम्भीर संकट पैदा कर सकती है।रत्नेश जी जैसे राष्ट्र भावना से ओतप्रोत सेवाभावी लोग ही, देश को खण्डित करने वाली विघटनकारी शक्तियों के षडयंत्र को रोक रहे हैं। रत्नेश जी का बस्तियों में सेवा कार्य को अंजाम देना न् केवल राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है बल्कि आमजन को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निर्वहन करने का संदेश भी प्रेषित करता है।

(लेखिका, समाज सेविका एवं पत्र लेखिका हैं)

ISSN No. 2581-3528

हमारी धरोहर काशी विश्वनाथ

विश्व के पुराने शहरों कि सूची में अंकित भगवान शंकर की नगरी काशी को 24 मई, 1956 को प्रशासनिक रूप से वाराणसी नाम दिया गया। वाराणसी गजेटियर, जो कि 1965 में प्रकाशित किया गया था, उसके दसवें पृष्ठ पर जिले का प्रशासनिक नाम वाराणसी किए जाने की तिथि अंकित है। 'वाराणसी' नाम की मान्यता प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. संपूर्णानंद ने दिलाई थी। पंचांग के अनुसार वैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के योग में काशी का नाम वाराणसी किया गया था।

प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह

जब भी विश्व के प्राचीनतम शहरों की बात चलती है तो भारत में मुख्य रूप से काशी (वर्तमान नाम वाराणसी) का नाम आता है, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण–पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगमों के बीच में बसने वाले शहर काशी का विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है– **'काशिरित्ते.. आप इवकाशिनासंगृभीताः।'** काशी जनपद की प्राचीनता तथा इसकी स्थिति वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव द्वारा वानर सेना को पूर्व दिशा की ओर भेजे जाने के संदर्भ में काशी और कोसल जनपद के निवासियों का एक साथ उल्लेख किया गया है–

'महीं कालमहीं चापि शैलकानन शोभिंता।

ब्रह्ममालन्विदेहांश्च मालवान्काशिक सलान्।' (किष्किंधा कांड 40, 22)

आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। "हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर" यह बात माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस वर्ष देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है।

सर्वतीर्थमयी एवं सर्वसंतापहारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहां प्राणत्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलानाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक–मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह आवगमन से छुट जाता है, चाहे मृत–प्राणी कोई भी क्यों न हो। मतस्यपुराण का मत है कि जप, ध्यान और ज्ञान से रहित एवंम दुखों परिपीड़ित जनों के लिये काशीपुरी ही एकमात्र गति है। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब सूर्य की पहली किरण काशी की धरती पर पडी थी। तभी से काशी ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र बन गई।

पौराणिक कथाओं में यह बात वर्णित है कि काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। हरिवंशपुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा 'काश' थे। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। काशी का अविमुक्त, आनंदवन, रुद्रवास भी नाम है। विश्व के पुराने शहरों कि सूची में अंकित भगवान शंकर की नगरी काशी को 24 मई, 1956 को प्रशासनिक रूप से वाराणसी नाम दिया गया। वाराणसी गजेटियर, जो कि 1965 में प्रकाशित किया गया था, उसके दसवें पृष्ठ पर जिले का प्रशासनिक नाम वाराणसी किए जाने की तिथि अंकित है। 'वाराणसी' नाम की मान्यता प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. संपूर्णानंद ने दिलाई थी। पंचांग के अनुसार वैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के योग में काशी का नाम वाराणसी किया गया था।

कहा जाता है कि काशी के कण–कण में शंकर बसते हैं, यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती है। तीनों लोक से न्यारी काशी का निर्माण खुद बाबा विश्वनाथ (भगवान शंकर) ने अपने हाथों से किया था। कहा जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर स्थापित है और प्रलय आने पर भी काशी के अस्तित्व पर खतरा नहीं हो सकता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि काशी विश्वनाथ के अस्तित्व के कारण शहर का प्रत्येक कंकड़ उतना ही शुद्ध है जितना कि भगवान शिव खुद, 'काशी के कंकड़, शंकर सामान'।

महात्मा गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर चिंता करते हुए इसे स्वच्छता, पवित्रता व शांति का केंद्र बनाने का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को एक भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान करने का जो संकल्प लिया था उसे 13 दिसम्बर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करके पूरा किया है, जोकि भारत में एक नवीन सांस्कृतिक अध्याय का प्रारंभ है और हमारी धार्मिक परंपरा की प्रतिकृति है।

हिन्दू धर्म के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी (वाराणसी) में ही स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है इसीलिए आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अविमुक्त क्षेत्र में अनादि काल से भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। यहां स्थित ज्योतिर्लिंग (जिसे बाद में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था) के चारो तरफ विशाल मंदिर का निर्माण सबसे पहले सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र के बाद चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया । यह मंदिर इसके बाद सैंकड़ो सालों तक बना रहा। इस मंदिर को ही बाद में अविमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी पुकारा जाने लगा।

गंगा किनारे संकरी गली में स्थित विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और

ISSN No. 2581-3528

पीठों से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक कुआँ है, जो मंदिर के उत्तर में स्थित है जिसे ज्ञानवापी की संज्ञा दी जाती है। मंदिर के ऊपर एक सोने का बना छत्र है। इस छत्र को चमत्कारी माना जाता है और इसे लेकर एक मान्यता है, अगर भक्त इस छत्र के दर्शन करने के बाद कोई भी कामना करते है तो उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग दो भागों में है। दाहिने भाग में माँ, शक्ति के रूप में विराजमान हैं और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान हैं। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंगों में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से चार प्रमुख द्वार हैं, जिनका नाम शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां शिवशक्ति एक साथ विराजमान हों और तंत्र द्वार भी हो। भगवान शिव का ज्योतिलिंग गर्भग्रह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब संपूर्ण विद्या और हर कला में परिपूर्ण होना होता है।

गंगा नदी के तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी स्कंद पुराण में वर्णित है जिसके अनुसार एक बार श्रीहरि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ता गया कि भगवान शिव को मध्यस्थता करनी पड़ी और उन्होंने एक विशाल ज्योर्तिलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से इसके स्रोत और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कहा। जिसे सुनकर ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर सवार होकर इसके अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। वहीं दूसरी ओर श्रीहरि भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ज्योर्तिलिंग के स्रोत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि कई युगों तक दोनों ज्योर्तिलिंग के स्रोत और अंत का पता लगाने की कोशिश करते रहे। अंत में विष्णु जी हार मानकर भगवान शिव के इस रूप के सामने नतमस्तक हो गए। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया और झूठ बोल दिया कि उन्होंने इस स्तंभ के अंत का पता लगा लिया है। इसे सुन भगवान् भोलेनाथ क्रोधित हो गये और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। कहा जाता है कि इस स्तंभ से पृथ्वी के भीतर जहां भी भगवान शिव का दिव्य प्रकाश निकला था, वो 12 ज्योर्तिलिंग कहलाया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इन्हीं ज्योर्तिलिंगो में से एक है।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के अधिपति देवता भगवान शिव को समर्पित प्रमुख धार्मिक आकर्षण है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग बारह ज्योतिर्लिंगों, ज्वालामय प्रकाश स्तंभ, जो पृथ्वी की सतह के नीचे से प्रकाश पुंज के रूप में निकलकर आकाश में तेजी से समाते हुए भगवान शिव की दैवीय उत्कृष्टता प्रकाशित किए थे, में से एक है। वर्तमान मंदिर का निर्माण इन्दौर की रानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा वर्ष 1776 में कराया गया, यद्यपि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अस्तित्व वर्तमान मंदिर के पहले भी था। महाराज रणजीत सिंह द्वारा 800 कि0ग्रा0 सोने से मन्दिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया गया था, इसलिए इसे वाराणसी का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। विगत शताब्दियों में मंदिर का कई बार निर्माण एवं पुन–निर्माण कराया गया। मंदिर का नाम काशी से लिया गया है जो कि वाराणसी का दूसरा नाम है। इस तीर्थ का विवरण स्कन्द पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी आता है। यहाँ का भक्तिमय वातावरण प्रायः प्रत्यक्ष है। हजारों मील की यात्रा करके आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ उमड़ने वाली भीड़, मंत्रोच्चार एवं घंटों की लगातार ध्वनि से यहाँ की ही पवित्रता में वृद्धि हो जाती है। आंतरिक भाग में कई छोटे पूजा स्थल, मंदिर एवं भगवान शिव के 2.1 मीटर ऊंचे बैल–नंदी एवं ज्ञानवापी कूप स्थित है।

महात्मा गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर चिंता करते हुए इसे स्वच्छता, पवित्रता व शांति का केंद्र बनाने का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को एक भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान करने का जो संकल्प लिया था उसे 13 दिसम्बर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करके पूरा किया है जोकि भारत में एक नवीन सांस्कृतिक अध्याय का प्रारंभ है और हमारी धार्मिक परंपरा की प्रतिकृति है। यह काशी विश्वनाथ धाम परिसर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आने वाले समय में यह देश की विकास यात्रा को भी विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ेगा। स्वयं मोदी जी ने भी काशी विश्वनाथ धाम परिसर का लोकार्पण करते हुये इसे भारत के सामर्थ्य का साक्षी बताते हुए कहा है कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारी अंतर–आत्मा को जागृत कर देती है। पीएम मोदी ने आगे कहा, 'काशी तो काशी है! काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हों, उस काशी को भला कौन रोक सकता है?'

(लेखक, सरकार द्वारा 'शिक्षक श्री' विभूषित ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, प्रोफेसर एवं चिन्तक हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

आर्थिक विकास में मीडिया एवं आंदोलन की भूमिका

प्रधानमंत्री की कानून वापसी की घोषणा से कानून के समर्थक एवं विरोधी दोनो स्तब्ध रहे। क्योंकि सरकार इन कानूनों को कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास के लिए न केवल एक बड़ा सुधार मान रही थी बल्कि, देश की अर्थव्यस्था के लिए अपरिहार्य मान रही थी।

डॉ. अखिलेश मिश्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों – कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम–2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि, इस कानून को देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक साल को स्थगित कर दिया था। इन तीनों कानूनों को लेकर संसद में न केवल पक्ष एवं विपक्ष में तीखी नोक झोंक हुई बल्कि, सड़क से लेकर मीडिया तक एक साल संग्राम मचा रहा। इतना ही नहीं कुछ चुनिंदा किसान समूहों एवं एनजीओ ने देश की राजधानी को एक साल तक घेर रखा था जिससे न केवल दिल्ली बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा था। सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के दौरान देश को प्रतिदिन 3500 करोड़ की आर्थिक क्षति हुई।

प्रधानमंत्री की कानून वापसी की घोषणा से कानून के समर्थक एवं विरोधी दोनों स्तब्ध रहे। क्योंकि सरकार इन कानूनों को कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास के लिए न केवल एक बड़ा सुधार मान रही थी बल्कि, देश की अर्थव्यस्था के लिए अपरिहार्य मान रही थी। हालांकि इस कानून को लेकर विशेषज्ञों एवं दबाव समूहों में शुरू से ही मतभेद रहे हैं। भारतीय किसान संघ भी इसके कई प्रावधानों से अपनी असहमति जता चुका था। यह एक मात्र कानून वापसी का प्रश्न नही है बल्कि इसकी वापसी में आर्थिक विकास के लिए लोक नीति के निर्माण एवं भारत में समाज, दबाव समूह एवम मीडिया की भूमिका पर व्यापक बहस छेड़ दिया है।

कृषि भारत में रोजगार एवं आय का एक प्रमुख श्रोत न होकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र का योगदान स्वतंत्रता के समय से राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में भले ही आधे से घटकर, 2019 में 16 प्रतिशत पर आ गया हो किंतु यह क्षेत्र आज भी 43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के रोजगार का प्रमुख साधन है। भारतीय कृषि, विश्व भर में द्वैध अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मानक माना जाता है जिसमें परंपरागत एवं आधुनिक तत्व एक साथ उपस्थित होते हैं। साठ के दशक के मध्य से लाई गई हरित क्रांति के कारण तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थागत द्वैध कम होने के बजाय बढ़ती गई। जहां देश में एक ओर अत्याधुनिक मशीनें, उन्नत बीज, सिंचाई एवं भंडारण उपस्थित है वहीं किसानों का एक बड़ा वर्ग जोत का आकार छोटा होने एवम आय एवं संसाधनों की कमी के कारण परंपरागत कृषि तरीकों को अपनाने को अभिशप्त है। चूंकि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए सरकारों ने पूरी आगत आपूर्ति श्रृंखला का सब्सिडी देते हुए वित्त पोषण किया एवं सब्सिडी प्रदान की जिसके कारण देश में विशेष तौरपर हरित क्रांति वाले क्षेत्र में न केवल कुलक राजनीति बल्कि विचौलियों का स्थानीय एवम राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा काफी बढ़ा।

कृषि क्षेत्र कृषि की धीमी एवं असंतुलित विकास न केवल आर्थिक असमानता बल्कि, क्षेत्रीय एवं राजनैतिक असमानता का प्रमुख श्रोत रही है। ज्ञातव्य है कि देश में औद्योगिक एवम सेवा क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु सघन कदम 1991 से उठाए जा रहे हैं किंतु कृषि क्षेत्र इस सुधार के दायरे से बाहर रहा। कृषि में संरचनात्मक सुधार के उद्देश्य से स्व. अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार ने सन 2000 में इन्द्रधनुष क्रांति के नाम कृषि नीति का मसौदा देश के सामने रखा एवं उसे मूर्त रूप में लाने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन समिति को इसका दायित्व सौंपा। किंतु इसके प्रावधान जनता तक पहुंचते उससे पहले सन 2004 में एन डी ए की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 10 वर्षों तक यूपीए सरकार द्वारा स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने एवं कृषि में संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाने के बजाय क्षेत्रीय दलों एवं दबाव समूहों के प्रभाव में तदर्थ नीतियों को लागू करती रही जिससे कृषि विपणन व्यवस्था में मध्यस्थ एवं बड़े किसान निरंतर मजबूत होते रहे। कृषि में सार्वजनिक निवेश लगातार घटता रहा तथा निजी निवेश भी नही आ पा रहा था। कम निवेश का नुकसान सीमांत एवम छोटे किसान भुगतते रहे एवं देश में कृषि संकट निरंतर गहराता गया।

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि संकट के स्थाई समाधान प्राप्त करने, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में उल्लिखित इंद्रधनुष क्रांति को अमली जामा पहनाने एवम तकनीकी के माध्यम से कृषि आगतो की सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजने एवं भविष्योन्मुखी कृषि को विकसित करने के आवश्यक अधः संरचना हेतु निजी निवेश को बढ़ाने एवं स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु अनेकों कदम उठाए ताकि जीरो बजट एवं पर्यावरण मित्र कृषि के उद्देश्य प्राप्त हो सके। इस दिशा में केंद्र सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को केंद्र में रखकर एवं उनके लाभ के लिए कई योजनाएं जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटिंग यूरिया, एकीकृत कमांड सिंचाई योजनाओं को समय बद्ध ढंग से पूरा करना, गांव के जमीनों के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन करना, किसान क्रेडिट कार्ड को योजनाओं के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को एकीकृत करना, कृषि बीमा योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पारदर्शी

ISSN No. 2581-3528

एवम प्रभावी कदम उठाना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे छह हजार भेजने एवं भंडारण एवं विपणन के क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने एवं किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपरोक्त कानून भी संरचनात्मक सुधार का हिस्सा थे। ऐसे में वे सभी तत्व जो पूर्व व्यवस्था का लाभ लंबे समय से ले रहे थे की प्रतिक्रिया एवं साजिश सामने आनी स्वाभाविक थी। इसमें शिरोमणि अकाली दल के लोग भी शामिल थे जो सरकार एवम नीति निर्माण का हिस्सा थे। स्मरणीय रहे जो लोग तीनों कानून का विरोध कर आंदोलन कर रहे थे वही लोग इन तीनों कानूनों की मांग लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार, विरोध की सघनता को आंकने में विफल रही जो स्वाभाविक भी थी क्योंकि जनतंत्र में विरोध का आधार सैद्धांतिक एवं वैचारिक दोनो होता है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो अपने आप को आर्थिक सुधार की जननी थी एवं जिनकी सरकारे इस कानून की तर्ज पर अपने राज्यों में प्रावधान लागू किए थी का विरोध न केवल राजनैतिक अवसरवाद था बल्कि, देश हित में आवश्यक सुधारों के ऊपर दल हित को बताता है।

केंद्र सरकार हालांकि इस कानून के फायदे को स्वीकार करती है एवं देश हित में भी बताती है का यू टर्न लेना बैठे बिठाए विपक्षियों को सरकार पर हमला का एक बड़ा अवसर दे दिया। सरकार ने किस मजबूरी में यह कदम उठाया एवं इसके क्या लाभ एवं हानि होंगे इसकी वास्तविक समीक्षा तभी हो सकेगी जबकि सरकार द्वारा सभी तथ्य जनता के सामने लाए जाएंगे। इस आंदोलन के दौरान देश के कुछ चुनिंदा मीडिया एवं विदेशी मीडिया के बड़े वर्ग ने न केवल नकारात्मक भूमिका निभाई बल्कि देश विरोधी तत्वों को एक बड़ा प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया। इस आंदोलन से उपजे मुद्दे, आंदोलन की कार्यप्रणाली एवं हितग्राहियों की भूमिका से भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में विकास हेतु सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सड़क एवं संसद की भूमिका एवं अधिकारिता पर आने वाले समय में नई बहस को जन्म दे दिया है।

प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री हर्षमैन का मानना है कि आर्थिक विकास असंतुलनों की एक श्रृंखला है। अल्पविकसित देशों में अर्थव्यस्था को निम्न संवृद्घि दर के जाल (trap) से निकालने के लिए उन्होंने नीति निर्माताओं को नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से स्थिरतावादी अथवा यथास्थितिवादी व्यवस्था में समय समय पर असंतुलन एवं हलचल पैदा करने का सुझाव दिया है ताकि सीमित संसाधनों को सही दिशा में एवं सर्वाधिक आवश्यक क्षेत्र में चैनेलाइज किया जा सके एवम गत्यात्मकता लाई जा सके। स्वाभाविक है कि जानबूझकर पैदा किए गए असंतुलन से संक्रमण काल में विभिन्न हितग्राहियों के मध्य संघर्ष, प्रतियोगिता, समन्वय एवं सहयोग की स्थिति बन सकती है जिसको संभालने के लिए समाज एवं सरकार के तत्वों को सक्रिय रूप से सामने आना होता है। हालांकि उन्होंने नीतियों के निर्माण करने से पूर्व आर्थिक एवं सामाजिक लाभ एवम हानि के आंकलन का भी सुझाव दिया था। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सरकार की भूमिका परिवर्तन के दौरान विपरीत रूप से प्रभावित वर्गों को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा सामान्य जन में विश्वास एवम ढांढस बनाए रखने हेतु द्वि–दिसीय बहु दिशीय (Bidirectional and Multidirectional) तथा बेहतर संचार तंत्र विकसित करने का होता है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास विस्तार तथा सूचना उद्योग में देशी एवं विदेशी पूंजी की बढ़ती भूमिका के कारण आज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया के दौर में इस आंदोलन से हमें यह सीख मिलती है कि सरकार को बेहतर नीतियों के निर्माण के साथ साथ आज विकास संचार को और अधिक मजबूत करने की जरूरत होगी। इसके लिए सरकारों को ज्यादा सजग रहने की जरूरत है क्योंकि देश एवं विकास विरोधी डिस्कोर्स एवम नैरेटिव को तैयार करना एवं आगे बढ़ाना विकास विरोधियों के लिए आसान एवम सुलभ होता जा रहा है। इस स्थिति से निबटने के लिए न केवल सरकार बल्कि, समाज को भी नई रणनीति पर विचार करना होगा।

(लेखक, एस. डी. पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद के प्राचार्य हैं)

■

ISSN No. 2581-3528

लोकतांत्रिक आंदोलन और न्यायपालिका की भूमिका

अश्वनी उपाध्याय

यदि धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबी है तो लोकतांत्रिक देश अमेरिका में भारत की तरह साल के 12 महीने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? भारत की राजधानी की तरह अमेरिका की राजधानी को बंधक क्यों नहीं बनाया जाता है? अमेरिका की राजनीतिक पार्टियां बार बार अमेरिका बंद का आह्वान क्यों नहीं करती हैं? भारत की तरह अमेरिका में सरकारी संपत्ति को क्यों नहीं जलाया जाता है? ऐसे अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि हमारे कानून बहुत ही लचर है इसलिए राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और प्रदर्शनकारियों को कानून तोड़ने का भय नहीं है। सच्चाई तो यह है कि भारत में होने वाले 99 प्रतिशत धरना प्रदर्शन राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक पार्टियां तय करती है कि धरना कब शुरू करना है, कितने दिन करना है, किसके खिलाफ करना है, कितनी हिंसा करना है और कब खत्म करना है। 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता और 1861 में बना पुलिस ऐक्ट आज भी लागू है इसलिए राजनेता जानते हैं कि कुछ भी कर लो, मुकदमा दर्ज नहीं होगा और यदि मुकदमा दर्ज भी हो गया तो न तो संपत्ति जब्त होगी और न ही सजा होगी।

सितंबर में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की मांग करने वाले किसान नेताओं को जमकर फटकार लगाया और नाराजगी भरे लहजे में किसान महापंचायत के प्रतिनिधियों से कई सवाल भी पूछा थे। कोर्ट ने कहा– 'आप लोगों ने तो पहले से ही दिल्ली का गला घोंट रखा है फिर अब शहर के अंदर क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं? जब आप लोगों ने कृषि कानूनों को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे दिया है और कोर्ट ने आपकी याचिका को विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया है फिर धरना प्रदर्शन क्यों? क्या आप लोगों को अदालत पर विश्वास नहीं है? क्या आप लोग न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं?' सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार तो है लेकिन सड़क जाम करने, हिंसा करने या कोई अनैतिक कार्य करने का नहीं, इसके बावजूद दिल्ली की सीमाओं विरोध–प्रदर्शन के नाम पर आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहा। गाजीपुर,

ISSN No. 2581-3528

टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बागपत, सोनीपत और पानीपत के निवासियों को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से प्रतिदिन दिल्ली आने वाले वाहन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद घंटों इधर से उधर घूमते रहते थे और आम जनता को दिल्ली में अपने गतंव्य स्थान पर पहुँचने के लिए दोगुना समय बर्बाद करना पड़ता था। यही स्थिति सोनीपत पानीपत से आने वालों के लिए भी था लेकिन किसान नेताओं को उन किसानों की भी चिंता नहीं थी जो आस पास के जिलों से प्रतिदिन सुबह दूध फल सब्जी और अन्य सामान बेचने दिल्ली आते हैं और शाम को वापस जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण दिल्ली बॉर्डर पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था कि एक किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 4–5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। ऑटो और टैक्सी चालकों को भी अत्यधिक परेशानी होती थी। आज जहां दिल्ली सीमा पार करने मे 5 मिनट का समय लगता है आंदोलन के समय वहां एक घंटा लगता था। अन्य राज्यों से आने वालों को पता ही नहीं होता था कि किधर से जाना है और परिणाम स्वरूप वह घंटों जाम में फंसे रहते थे। मरीजों को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसती थी। अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण गलियों में गड्ढे बन गए जिनके कारण प्रदूषण ही नहीं बढ़ा बल्कि गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ गया। आज जो आटो वाले 1000–1200 रुपये तक कमा लेते हैं पहले वे मुश्किल से 400–500 रुपये ही कमा पाते थे। आम जनता ही नहीं बल्कि ऑटो और टैक्सी चालक अत्यधिक परेशान थे लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे।

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील झाखड़ की स्वीकारोक्ति के बाद कांग्रेस विधायक राज कुमार वेरका ने साफ कहा है कि किसान आंदोलन कांग्रेस द्वारा समर्थित और प्रायोजित है। कांग्रेस विधायक ने कहा था कि किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर किया जा रहा आंदोलन विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित करवाया जा रहा आंदोलन है, पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपील की थी कि वे पंजाब में प्रदर्शन न करें क्योंकि इससे राज्य को आर्थिक क्षति पहुँचती है। हाल के वर्षों में कांग्रेस ने इस प्रकार के कई आंदोलनों का केवल समर्थन ही नहीं किया बल्कि उसे खड़ा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिकता कानून के विरुद्ध शाहीन बाग में हुए आंदोलन को कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन हो या हरियाणा में जाट आंदोलन के पीछे विपक्षी पार्टियों की भूमिका, सब को लेकर सार्वजनिक मंचों पर बहुत कुछ कहा और लिखा गया। ऐसे आंदोलनों के पीछे कांग्रेस की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। कृषि कानूनों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को पार्टी की ओर से किस–किस स्तर पर समर्थन मिला यह भी किसी से छिपा नहीं है। पहले शाहीन बाग और फिर किसान आंदोलन के कारण लगभग 50 प्रतिशत व्यापार बंद हो गया। व्यापारियों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ और कामगारों की नौकरी समाप्त हो गई। पहले कोरोना के कारण उद्योग व्यापार बंद था और बाद में आंदोलन के कारण, धार्मिक अधिकार हो या नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो या मानव अधिकार, संविधान और कानून द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार असीमित और अनियंत्रित नहीं होता है। हमारे कानून बहुत ही पुराने और कमजोर हैं और आम जनता भी प्रदर्शन से होने वाली परेशानी सहन करती रहती है और प्रतिक्रिया नहीं देती है इसलिए प्रदर्शनकारी जनता की खामोशी को उसकी मजबूरी और कमजोरी समझते हैं और कहीं पर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इतिहास साक्षी है कि जिस देश का कानून कमजोर होता है वहां अराजकता बढ़ती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के कानून महा घटिया और कमजोर हैं। जब तक घटिया अंग्रेजी कानूनों का मकड़जाल खत्म कर भारत में कठोर और प्रभावी 'एक देश–एक दंड संहिता' लागू नहीं होगी, पुलिस रिफॉर्म इलेक्शन रिफॉर्म और जूडिशल रिफॉर्म नहीं होगा, सरकारी संपत्ति के नुकसान की पूरी कीमत वसूलने के लिए केन्द्रीय कानून नहीं बनेगा तब तक लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक स्वार्थों के लिए धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा इसलिए आम जनता को घटिया 15 अगस्त 1947 से पहले बने सभी कानूनों को बदलने की मांग करना चाहिए। इसलिए अब इन स्वघोषित स्वयंभू किसान नेताओं के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्यवाही ही नहीं होना चाहिए बल्कि दिल्ली और एनसीआर को हुए आर्थिक नुकसान को भी इनसे वसूलना चाहिए।

(लेखक, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं)

ISSN No. 2581-3528

आंदोलनों में मीडिया की भूमिका पर सवालिया निशान

प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम

मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में एक दिशा निर्देशक की भूमिका निभाएगा। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व से प्रेस यानि मीडिया पर लोगों का अटूट विश्वास रहा है। इसी विश्वसनीयता के चलते ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। यद्यपि भारतीय संविधान में मीडिया को चौथे स्तम्भ का दर्जा नहीं दिया गया है लेकिन समाज में अपनी भूमिका के चलते उसने यह स्थान हासिल किया है। वस्तुतः भारत की स्वाधीनता के आंदोलनों से लेकर विभिन्न आंदोलनों में मीडिया की अहम भूमिका रही है। लेकिन हिंदी भाषा के खिलाफ आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन और हाल ही में संपन्न हुए किसान आंदोलन में उसकी भूमिका सवालों के घेरे में भी रही है।

निःसंदेह, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मीडिया की प्रखर भूमिका रही है। विभिन्न समाचार–पत्र और पत्रिकाओं ने जनता को आंदोलन के लिए तैयार किया। इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन सका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1857 की क्रांति से माना जाता है। इसी राष्ट्रीय क्रांति ने इस आंदोलन को संबल प्रदान किया और यह आंदोलन देश के स्वतंत्र होने यानि वर्ष 1947 तक अनवरत चलता रहा।

आंदोलनकारी अजीमुल्ला खान ने 8 फरवरी 1857 को दिल्ली से 'पयामे आजादी' नामक समाचार–पत्र प्रकाशित किया। इस समाचार–पत्र ने अपनी प्रखर वाणी से आंदोलनकारियों में उत्साह और उमंग भरकर राष्ट्रीय चेतना का संचार कर दिया। इस समाचार–पत्र के आक्रामक तेवर से ब्रिटिश सरकार घबरा गई और इस पत्र को बंद कराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी।

भारत की महान विभूतियों भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, डॉ. बी.आर.आंबेडकर समेत अनेक स्वतंत्र–सेनानियों ने अखबार निकालकर न केवल जन–मानस को जागृत किया बल्कि ब्रिटिश शासकों के दांत खट्टे कर दिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्रकारिता पूरी तरह से मिशनरी थी। समाचार–पत्र और पत्रिकाओं के संचालकों के साध्य और साधन दोनों ही पवित्र थे।

देश के स्वतंत्र होने के बाद वर्ष 18 मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण ने देश में एक बड़ा जन–आंदोलन चलाया था। उनको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत एक छात्र आंदोलन के रूप में हुई थी, जिसे बाद में संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के रूप में जाना गया। यह इंदिरा गांधी की भ्रष्ट एवं निरंकुश सरकार को पद्च्युत करने का आंदोलन था। हालांकि बाद में इसके प्रतिकार स्वरूप देश को आपातकाल का सामना भी करना पड़ा। जेपी स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े नेता थे और उन्हें आंदोलनकर सत्तासीन होने का कोई लालच नहीं था। संभवतरू इसीलिए उस समय मीडिया के एक बड़े हिस्से का सहयोग उनके आंदोलन के कवरेज में सकारात्मक रहा था। लेकिन 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू होने के बाद मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए मीडिया की भूमिका बहुत सीमित हो गई और आवाज उठाने वाले मीडिया घरानों का गला घोंट दिया गया।

देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल कानून की मांग को वर्ष 2011 में शुरू किए गए अन्ना हजारे आंदोलन में मीडिया की काफी सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका रही। हालांकि 1974 और 2011 के बीच दो मामलों में स्थिति काफी भिन्न रही। तब भ्रष्टाचार ने इतना भीषण रूप ग्रहण नहीं किया था। दूसरा, उस समय मीडिया न इतना ज्यादा सशक्त था और न ही उसका अधिक विस्तार था। मोबाइल और इंटरनेट की क्रांति नहीं हुई थी और न ही निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नामो–निशान था। यही कारण है कि मीडिया में जेपी की तुलना में टीम अन्ना को ज्यादा तवज्जो मिली।

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा के विरोध में वर्ष 1937 से ही है, जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया था पर द्रविड़ कषगम (डीके) ने इसका विरोध किया। इस विरोध ने हिंसक झड़पों का स्वरूप ले लिया था और इसमें दो मौतें हुई थीं। वर्ष 1965 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रयास किया तो एक बार फिर से गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन में भी मीडिया की भूमिका नकारात्मक रही थी।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए किसान आंदोलन में सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया की भूमिका सवालों के घेरे पर रही। सोशल मीडिया ने जहां कई बार अफवाह फैलाने का काम किया, वहीं विदेशी मीडिया ने भारत की छवि को दागदार बनाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय मीडिया के प्रिंट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चौनलों ने एक जिम्मेदार स्तंभ की भूमिका निभाने की कोशिश तो की लेकिन चुनिंदा टीवी न्यूज चैनलों ने एक पक्षीय खबरों का प्रसारण कर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास भी किया।

अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों की विश्वसनीयता के चलते ही मीडिया को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होने के चलते उसकी समाज और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत अहम भूमिका है। मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में घटित होने वाले अन्याय, आंदोलन अथवा किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ निष्पक्षता के साथ अपनी आवाज बुलंद करे ताकि उसकी विश्वसनीयता और शुचिता पर सवालिया निशान न लगे।

(लेखक, आईएमएस, गाजियाबाद में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के चेयरपर्सन हैं)

■

भयमुक्त समाज हमारा संकल्प

सुरक्षित नारी इसका पहला विकल्प

सोच ईमानदार, काम दमदार

आत्मनिर्भर नारी हमारा संकल्प

उन्नत समाज का यही विकल्प

सोच ईमानदार, काम दमदार

आत्मनिर्भर नारी हमारा संकल्प

उन्नत समाज का यही विकल्प

55,964 महिलाओं को बनाया
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेन्ट सखी

सोच ईमानदार, काम दमदार

ISSN No. 2581-3528

पुस्तक समीक्षा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दीर्घकालीन यात्रा पर अनेकों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं फिर भी संघ सदैव ही सुर्खियों में रहता है। हाल ही के दिनों में संघ के कामकाज को लेकर समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है क्योंकि एक ओर इन दिनों में बहुत से स्वयंसेवक सरकार में शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं वहीं दूसरी ओर संघ के हिंदू राष्ट्र और एकात्मता के मूल विचार अब हमारे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की मुख्यधारा बन गए हैं।

इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न प्रश्नों को उठाया है जैसे भारत के लिए संघ का दृष्टिकोण क्या है? यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें मुसलमानों और अन्य धर्मों का क्या स्थान होगा? इतिहास लेखन की संघ की परियोजना कितनी बड़ी है? क्या हिंदुत्व जाति की राजनीति को खत्म कर देगा? परिवार की बदलती प्रकृति और विभिन्न सामाजिक अधिकारों पर संघ का क्या दृष्टिकोण है आदि। इन सवालों का लेखक सुनील आंबेकर जी ने बखूबी विश्लेषण किया है।

आंबेकर जी को तथ्यों की गहरी समझ है इसी कारण वे विचार की स्पष्टता और उसके विस्तार दोनों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हुए हैं। एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने शाखा पद्धति में कार्य किया है और उसे अपने जीवन में जिया है उसी के आधार पर संघ की आंतरिक कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया और समन्वयक दृष्टि पर गहराई से दृष्टिपात किया है। इस पुस्तक के माध्यम से सुनील आंबेकर जी ने संघ और संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली को संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक संघ के अतीत इसके संभाव्य भविष्य और समाज में इसकी भूमिका के मध्य सेतु का कार्य करती है। वास्तविक जीवन के अनुभवों से भरपूर यह पुस्तक उन सभी के लिए एक पठनीय है जो संघ शक्ति की कार्यप्रणाली और इसकी भविष्य की योजनाओं को समझने के इच्छुक हैं। साथ ही साथ यह उन सभी के लिए तैयार फार्मूले की तरह है जो संघ को जानना चाहते हैं, जो कि एक विचार बनाने के लिए नितांत आवश्यक भी है।

प्रस्तुत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है। इस पुस्तक के माध्यम से सुनील आंबेकर ने संघ और संघ की आंतरिक कार्यप्रणाली को संपूर्ण विश्व के सामने रखा है यह पुस्तक अतीत एवं भविष्य और समाज में इसकी भूमिका के मध्य सेतु का कार्य करती है।

-टी .वी मोहनदास पाई, चेयरमैन ओरियन कैपिटल पार्टनर्स

मैं आशा करता हूं कि संघ युवाओं को समावेशी व करुणा पूर्ण बनाने हेतु उनको संवेदनशील बनाएगा जिससे कि वे संगच्छध्वं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को धारण कर सके।

-कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

यह पुस्तक उन सभी के लिए एक तैयार फार्मूले की तरह है जो संघ को जानना चाहते हैं, जो कि एक विचार बनाने के लिए नितांत आवश्यक भी है। **-आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक**

यह पुस्तक समाज को तो संघ दिखाएगी ही साथ ही साथ संघ के अंदर भी विचार मंथन के लिए इसका बहुत उपयोग होगा।

-मोहन राव भागवत, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

लेखक परिचय

सुनील आंबेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और वर्तमान में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं आप 2003 से 2019 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे । बाल्यकाल से स्वयंसेवक आंबेकर जी ने प्राणी शास्त्र (जूलॉजी) में स्नातकोत्तर किया है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री के दायित्व पर रहते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों से निरंतर संवाद के लिए देश भर में प्रवास करते रहे हैं। वे अपनी विशेष पहल के लिए जाने जाते हैं चाहे शिक्षा क्षेत्र में सुधार का विषय हो या छात्रों में राष्ट्रवाद जगाने की बात हो या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आंदोलन करना हो। उन्होंने हर विषय पर पहल की है जिसका संबंध समाज और राष्ट्र से होता है आंबेकर जी की छात्रों और युवाओं के विषय पर सक्रियता और उनके रोजगार तथा सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रही है। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन, नेपाल, सिंगापुर, आदि देशों का प्रभाव और वहां के समाज जीवन का निकट से अध्ययन किया है।

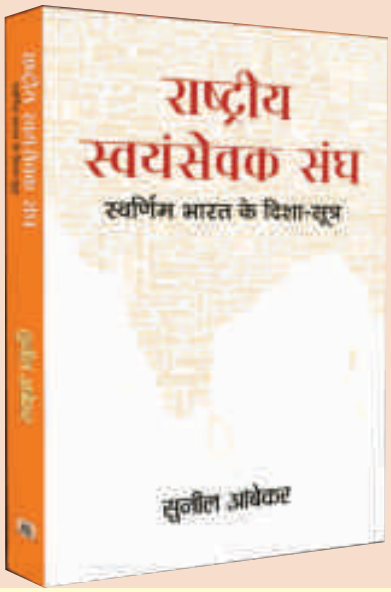

(पुस्तक समीक्षा, डॉ. प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज (सांध्य) दिल्ली विश्वविद्यालय)

ISSN No. 2581-3528

पत्रिका के दिसम्बर अंक की समीक्षा

डॉ. प्रियंका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
शम्भू दयाल पीजी कॉलेज, गाजियाबाद

केशव संवाद पत्रिका के दिसंबर अंक में समसामयिक विषयों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है 'आर्थिक परिदृश्य' विषय पर प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे सकारात्मक प्रभाव के दृष्टिगत 2022 में अर्थव्यवस्था की द्रुत गति से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। वहीं 'अखंड भारत का वृहद स्वरूप' लेख में भारत हिंदू राष्ट्र क्यों? के प्रश्न को डॉ. हेमेन्द्र राजपूत जी ने तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया है। सेवा कार्यों को समर्पित अपने लेख के माध्यम से अनुपम अग्रवाल जी ने अविरल धारा संस्थान पर प्रकाश डाला है जो निष्पक्ष नि:शुल्क एवं नि:स्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है।

प्रो. अनिल निगम जी ने अपने लेख के माध्यम से हिंदुत्व की भ्रामक व्याख्या से सामाजिक समरसता को खतरा बताया है तथा स्पष्ट शब्दों के साथ संदेश दिया है कि हिंदुत्व अध्यात्म आधारित एवं परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है। वहीं डॉ. राम शंकर विद्यार्थी जी ने भी वैश्विक पटल पर बढ़ता हिंदुत्व लेख के माध्यम से कहते हैं कि भारत अपने संस्कारों के अनुरूप संस्कृति का निर्वहन करते हुए निर्णय लेता है तभी तो सहिष्णुता का भाव भारतीय संस्कृति को अद्वितीय बनाता है। डॉ यशार्थ मंजुल जी ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर चिंता जाहिर की है जिसमें वह लिखते हैं कि सिनेमाई कला को ध्यान पूर्वक बरते जाने की आवश्यकता है।

भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की समृद्धि को 'विरासत' में समाहित किया है प्रो. हरेंद्र जी ने। भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग रही टेक्नोलॉजी विषय पर डॉ प्रसून कुमार मिश्र जी लिखते हैं कि मनीषियों ने वेदों में स्पष्ट कर दिया है कि संस्कारी ज्ञान और आध्यात्मिक दोनों ही हमारे जीवन के लिए समान रूप से आवश्यक है जिससे स्पष्ट होता है जीवन यापन के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता उतनी ही है जितनी अध्यात्म की आवश्यकता है। 'उत्सव मंथन' शीर्षक में नीलम भागी जी ने उत्सव को पर्यावरण व समतावाद से जोड़ा है। मीडिया जगत की निडर, साहसी व ऊर्जावान पत्रकार श्रीमती श्वेता सिंह जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला डॉ. नीलम कुमारी जी ने। सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता विषय पर नेहा कक्कड़ जी लिखती हैं कि सोशल मीडिया असीमित चादर है जिसने हर किसी को अपने अंदर समेट लिया है।

भारत में प्रिंट मीडिया का महत्व एवं भविष्य पर श्री मोहित कुमार जी लिखते हैं कि प्रिंट मीडिया के बदलते कलेवर और नई तकनीकि के समागम ने प्रिंट मीडिया को नई दिशा देने का कार्य किया है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती पर "एक तीर-एक कमान" लेख के माध्यम से अपने भावों को समर्पित किया है श्री नरेंद्र सिंह भदोरिया जी ने। वहीं ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र हस्तिनापुर के बारे में बता रहे हैं प्रतीक खरे जी जिसमें उन्होंने पांडेश्वर मंदिर के इतिहास व महाभारत कालीन इतिहास का उल्लेख किया है। साथ ही प्रेरणा संस्थान द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण पा रहे विद्यार्थियों को हस्तिनापुर का भ्रमण भी कराया गया जिसका उल्लेख प्रतीक जी ने किया।

ऋतु के अनुसार आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है डॉ सुनेत्री जी ने। काकोरी के क्रांति नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को अपने लेख के माध्यम से नमन किया है श्री मृतुंजय दीक्षित जी ने। मीडिया सुर्खियों का संयोजन श्री प्रतीक खरे जी द्वारा किया गया एवं दिसंबर माह के प्रेरणा दिवस का संयोजन श्री राम कुमार शर्मा जी के द्वारा किया गया है। अंत में नवंबर माह की समीक्षा के बाद हिंदुत्व के आराधक महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर विशेष लेख श्री महावीर सिंघल जी द्वारा लिखा गया है।

ISSN No. 2581-3528

अखण्ड भारत का वृहत् स्वरूप

डॉ. हेमेंद्र कुमार राजपूत

(गतांक से आगे...)

इस भूमि के कटने का दर्द सर्वाधिक हिन्दू समाज को ही होता है, इस भूमि की अखण्डता, स्वतन्त्रता और स्वशासन के लिए हिन्दुओं ने अनेक संघर्ष किये और युद्ध लड़े। यही समाज और इसके पूर्वज प्रातः का चारपाई से उठकर धरती को स्पर्श कर चूमते हैं, इस माटी का तिलक लगाते हैं। माता और पुत्र का भावनात्मक एवं श्रद्धात्मक सम्बंध ही हिन्दू समाज को 'राष्ट्र' का दूसरा तत्व अथवा कारक बनाता है।

राष्ट्र का तीसरा नियामक तत्व है "संस्कृति"। संस्कृति का जन्म सौ, पांच सौ या हजार वर्ष में नहीं होता बल्कि 'सस्कृति' बनने में हजारों–लाखों वर्ष लगते हैं अर्थात् "दीर्घकालीन परम्पराओं को संस्कार रूप में आत्मसात् करने की प्रक्रिया को संस्कृति कहा जाता है।" पहले समाज में सभ्यता का जन्म होता है। सभ्यता समाज की सभ्य जीवन प्रणाली से उत्पन्न होती है जो जीवन म ूल्य समाज कसौटी पर कस कर पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यांकन कर अपनाता है वे ही परम्पराऐं बन जाती है और ये परम्पराऐं उव मानव जीवन के संस्कारों में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है और ये संस्कार मानव हृदय की चिति में समाहित होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मानव जब जंगली अवस्था में रहता था और अराजक जीवन से सभ्य जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था तब एक बालक ने देखा कि उसकी मां को कोई अन्य पुरुष उठाकर ले जा रहा है वह उसके अपने पिता से अधिक ताकतवर था तब उसका प्रतिकार न करने पर पास बैठे पिता से उसने पूछा, तब उत्तर मिला– "समाज में शक्तिशाली व्यक्ति सब कुछ कर सकता है।" उस बालक को यह सामजिक कुअवस्था बुरी लगी। बड़े होकर उस बालक ने समाज में 'विवाह पद्धति' का प्रचलन कराया। वह बालक श्वतेकेतु ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवाह पद्धति एक संस्कार है जो पारिवारिक व्यवस्था को समाज में स्थापित करता है फिर धीरे–धीरे समाज में बच्चे के गर्भ में अ ाने से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक सोलह संस्कार हमारे ऋषियों–महर्षियों ने स्थापित किये। ये ऋषि–महर्षि कौन थे? उत्तर सीधा सा है– 'हिन्दुओं' के पूर्वज हिन्दू। यह सम्पूर्ण विश्व का सार्वभौमिक सनातन सत्य और नियम है कि जो जिस सिद्धान्त या नियम का निर्माण करता है वह नियम उसी के नाम से दुनियां में पहचान बनाता है जैसे न्यूटन का सिद्धान्तख आर्किमिडीज का नियम, बोधायन की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय, बाराहमिहिर का ग्रह चक्र सिद्धान्त, आर्यभट्ट का निमय आदि–आदि। हिन्दू पूर्वज लोकेषणा से बहुत दूर थे इसलिए व्यक्तिवादी सोच नहीं रखते थे और हिन्दू परम्पराओं को किसी एक ने नहीं बल्कि अनेकों ने संस्कारित किया था और वे हिन्दू पूर्वज थे, इसलिए हिन्दू परम्पराऐं ही संस्कारित होकर 'हिन्दू संस्कृति' बनी। इसकी जड़े इतनी गहरी है कि अनेक आक्रमणों और परतन्त्रता के बाद भी हिन्दू वट वृक्ष की जड़े समाप्त नहीं हुई। हिन्दू संस्कृति अपने लम्बे जीवनकाल में अनेक झंझावातों को झेलती हुई भी जीवित है। हिन्दू संस्कृति जीवित है तो 'विश्व राष्ट्र' जीवित है। उपरोक्त तीनों नियामक तत्वों हिन्दू भूमि, हिन्दू समाज और हिन्दू संस्कृति के सम्मिश्र योग से ही भारत एक प्राचीन राष्ट्र और हिन्दू राष्ट्र है।

हिन्दू राष्ट्र (देश) का खण्डित होते जाना :- 'हिन्दू राष्ट्र' को खण्डित करने का प्रयास लगभग एक हजार वर्षों से लगातार चल रहा है। इससे पहले देश का खण्डन भौगोलिक कारणों से हुआ लेकिन ग्यारहवीं शताब्दी के बाद भारत को खण्डित करने के दो महत्वपूर्ण कारण रहे। पहला इस्लामिक विस्तार अथवा इस्लाम का क्षेत्रीय विस्तार और दूसरा कारण है हिन्दुओं का संगठित न होना। अतः हिन्दुओं की फूट के कारण ही भारत अथवा हिन्दुस्थान खण्डित हुआ। यह बात हिन्दुओं का समझ आनी चाहिये और समझानी चाहिए। मुसलमान और ईसाई अथवा गैर–हिन्दू, इस्लामिक विस्तार की प्रक्रिया के वक्त मौन धारण करके मौन समर्थन देते आये हैं और देते रहेंगे। इस्लामिक विस्तार प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेने में ही हिन्दुओं की ओर हिन्दू राष्ट्र की भलाई है अन्यथा भविष्य में हिन्दुओं को हिन्द महासागर में डूबने को भी जगह नहीं मिलेगी।

इस्लाम के उदय से पहले अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम में अरब तक बौद्ध सांस्कृतिक जीवन था। पारिवारिक मासिक पत्रिका "जाहनवी" जून 2012 अंक 6 पृष्ठ 23 से 25 पर एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक "अरब में इस्लाम से पहले बौद्ध प्रचलित था" है। इस शोधात्मक लेख में अरब लेखकों के उद्धवरणों से स्पष्ट किया गया है कि अरब, टर्की, इराक, ईरान में पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, उन्होंने उनके मंदिरों का उल्लेख भी किया है। प्रोफेसर ब्राउन की पुस्तक "लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एशिया", गखाऊ की पुस्तक 'किताबुल हिन्द' इतिहासकार मसऊद अरबी विश्वकोश 'मसाति कुल अक्सार' जेरूसेलम का 'हमीदिया पुस्तकालय' में रखा 'फजल बिन महिमा का ताम्रपत्र' और 'इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम' आदि ने भारतीय हिन्दू संस्कृति सभ्यता और बौद्ध धर्म के प्रकाश अरब देशों में सिद्ध हस्त किये हैं।

इस्लाम का उदय लगभग 556 ई. अथवा छठी शताब्दी में अरब की भूमि पर मक्का–मदीना के आस–पास की इस्साम भूमि पर हुआ। ये कबिलाई जवन जीने वाले यौद्धक थे। किराये पर युद्ध लड़ने का काम यौद्धक जीवन कहलाता था, साथ–साथ पशुचारण का काम भी करते थे। महायुद्ध के समय केतुमाल प्रदेश में ईरान और अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में जिसे आज तालिबानी क्षेत्र कहते हैं, वहां महमंद (मधुमन्त) नाम का यौद्धक कबीला था जो कौरव पक्ष से युद्ध लड़ा था। युद्ध समाप्ति पर यह कबीला समाप्त होने के कगार पर था। महाभारत युद्ध को बीच में छोड़कर इस कबीले के सैनिक भाग गये थे उन्होंने कबीले के सरदार को युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, वह बता दिया था तब अपने कबीले के सरदार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य इसने केतुमाल प्रदेश के उत्तरी भाग से पलायन किया। मार्ग में अनेक वर्षों तक ठहरता रहा किन्तु अपने लड़ाकू और लूट–पाट करने के मूलभूत स्वभाव के कारण वह महमंद कबीला स्थाई रूप से बस नहीं पाया और स्थान परिवर्तन करता रहा। कालान्तर में पर्सियन्स लोगों से

ISSN No. 2581-3528

भिडन्त होने लगी, उन्होंने अपने देश में स्थाई बसाव इन्हें करने नहीं दिया फिर मेसोपोटामिया देश जहां आज ईराक है, वहां भी बेबिलोन्स लोगों से लगभग सैकड़ों वर्षों तक लड़ता रहा, उन्होंने अपने देश में स्थाई बसाव इन्हें करने नहीं दिया फिर मेसोपोटामिया देश जहां आज ईराक है, वहां भी बेबिलोन्स लोगों से लगभग सैकड़ों वर्षों तक लड़ता रहा, उन्होंने भी स्थाई रूप से बसने नहीं दिया। पश्चिम में भी जाने का इस कबीले ने पूर्ण प्रयास और संघर्ष किया किन्तु यवनों और मिश्री लोगों ने इन्हें बसने नहीं दिया। यवनों और बेबिलोन्स के मध्य क्षेत्र में असुरों का असीरियाई क्षेत्र था। इस कबीले के सम्बन्ध वैवाहिक रूप से असुरों के साथ स्थापित हो गये। असुरों का क्षेत्र दक्षिण में अरब–ओमन तक था। असुर शिव पूजक थे अतः शैव सम्प्रदाय या पंथी थे। इनके गुरु शुक्राचार्य प्राचीन काल से ही थे। शुक्राचार्य एक गुरु पदवी बन गई थी, इसलिए शुक्रवार को यह समुदाय विशेष उपासना करते थे। शिव मस्तिष्क पर बने अर्धचन्द्र (दोयज का चन्द्र) को अपना प्रतीक मानते थे। महमंद और असुरों के मिश्रण से एक विशेष सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई। लगभग 2500–3000 वर्षों के संघर्षों के बाद कहीं ठहरने की सफलता न मिलने पर इस कबीले ने अरब के रेगिस्तान की तरफ कूच किया। यह कबीला वहां के पूर्व रहने वाले कबीलों से लड़ता–झगड़ता हुआ और अपने समूह को संगठित करते हुए अपनी जनसंख्या बढ़ाता हुआ अरब के इस्साम क्षेत्र में बसने में सफल हुआ, वहां आज के मक्का मदीना के पास जल स्रोत भी उपलब्ध था। यहां रहकर इस कबीले ने अपनी यौद्धक शक्ति बढ़ाई और आस–पास के अरेबियाई पूर्वकालिक कबीलों पर विजय प्राप्त की। कालान्तर में लगभग 550 ई. के आस–पास इस महमंद नाम के कबीले के मुखिया को मौहम्मद नाम की उपाधि दी गई जिसे ईश्वर (अल्लाह) का पैगम्बर माना गया और उसने इस्साम क्षेत्र के स्थायित्व के कारण ईस्लाम पंथ की स्थापना की। इस कबीले को शक्तिशाली बनने में लगभग एक हजार वर्ष लगे।

ग्रीक योद्धा सिकन्दर का आक्रमण जब बेविलोन और यवन देशों पर हुआ और उसने इन्हें विजयी किया तब भी इस महमंद कबीले ने अपने यौद्धक सैनिकों को सिकन्दर को किराये पर दिया था। वे घोड़ो की पंगी पीठ पर बैठकर युद्ध करने में महारथी थे। उस समय तक अरब में घोड़े की काठी का निर्माण नहीं हुआ था–काठी भारत में बनती थी। सिकन्दर के साथ मिलकर इन भाड़े के सैनिकों ने युद्धों का एक विशेष अनुभव प्राप्त किया। सिकन्दर की मृत्यु के बाद ही उसकी विस्तारवादी योजना को इसने अपनाया और पहले अरब के रेगिस्तानी, फारस की खाड़ी, लाल सागर एवं हिन्दमहासागर या अरब सागर के तटीय क्षेत्रों के कबीलों को विजयी किया और अपने में मिला लिया। उन्हें अपनी असुर संस्कृति और सभ्यता में मिश्रित किया तथा उनसे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। अबर की जलवायु के समरूप अपने जीवन जीने की पद्धति विकसित की।

अब अरब क्षेत्र का यह सबसेर शक्तिशाली कबीला (समुदाय) बन गया तब मौहम्मद पैगम्बर की अगुवाई में कुछ नियम बनाये जिन्हें मानना इस इस्माम (ईस्लाम) वालों का प्रथम कर्तव्य था। दुनियां में ईस्लाम के नियम ही सर्वोपरि है इनके अलावा कुछ नहीं है ऐसी मान्यता स्थापित की। शक्ति संग्रह करके सर्वप्रथम इस्लाम देश का निर्माण किया फिर सम्पूर्ण अरब क्षेत्र पर अपना अधिकार करके उसका इस्लामीकरण कर लिया अब यह एक कबीला न रहकर एक देश और एक राष्ट्र बन गया। दूसरे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये किन्तु साथ–साथ यह भी सदैव ध्यान में रखा कि हम अपना और अपने इस्लाम का विस्तार कैसे कर सकते हैं। इन्होंने पहला आक्रमण उत्तर में यवन देश पर किया, उसे विजयी करके अपने इस्लाम में परिवर्तित कर लिया। वहां के यवनों के चिन्ह–प्रतीक सब समाप्त कर दिये। लगभग दो सौ वर्षों में सभी को मुसलमान बना लिया, जो यवन शेष बचे वह भूमध्य सागर में ग्रीक देश में चल गये। इसके बाद शक्ति संजोकर मैसोपोटामिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाकर वहां की कमजोरियों को समझकर आक्रमण किया और धीरे–धीरे आक्रमण करते उन्हें मारते–काटते दक्षिण से उत्तर की ओर उनका इस्लामीकरण करते गये। दजला–फरात की नदियों का बेबिलोन्स लोगों का यह मैसापोटामिया देश बहुत उपजाऊ था। मुस्लमानों की अन्न की समस्या का समाधान हो गया। अब कोई बेबिलोन्स नहीं बचा। मैसोपोटामिया की सभ्यता अब किताबों में पढ़ाई जाती है लेकिन जीवित नहीं है। सभी को मुसलमान बना दिया गया। 'मुसलमान' शब्द की उत्पत्ति पैगम्बर 'मूसा' से हुई।

556 ई. से 850 ई. तक लगभग 300 वर्षों में भूमध्यसागर के पूर्वी तटीय क्षेत्र जो आज जोर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की देश है सबका इस्लामीकरण कर दिया गया वहां की पूर्व सभ्यता व संस्कृति का समूलनाश कर दिया गया। इसी बीच यहूदियों का जन्म हुआ जिसने जेरूसलम में अपना स्थान बनाये रखा किन्तु अधिक समय तक वह भी इस्लाम के आक्रमण के सामने टिक नहीं पाये और उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। अभी कुछ समय पूर्व यहूदियों का इजराइल देश दुनियां के नक्शे पर आया।

भूमध्यसागर और लालसागर के मध्य की भूमि से आक्रमण करके मिश्र देश में घुसपैठ की और मुसलमानों को इसमें सफलता मिली। मुसलमानों की नीति में यह प्रारम्भ से ही रहा कि पहले घुसपैठ करके शरणार्थी रूप में रहना फिर ताकत अर्जित करके अपने पीछे से इस्लामिक आक्रमण कराना और देश के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर वहां के संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमाना। मिश्री लोग समझ नहीं पाये और धीरे–धीरे अल्पसंख्यक होते गये और फिर एक धक्के में सम्पूर्ण मिश्र को खण्डहर बनाकर उसका इस्लामीकरण कर दिया अर्थात् सभी को मुसलमान बना दिया गया। इस सारी प्रक्रिया में केवल डेढ़ सौ से दो सौ वर्ष लगे और मिश्री सभ्यता संस्कृति सिर्फ पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है। सन् 1000 ई. तक इस्लाम की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अपनी इस्लामिक भूमि से एक साथ तीन ओर विस्तार करना प्रारम्भ किया। उत्तर में मध्य एशिया की ओर, पश्चिम में अफ्रीकन देशों की ओर जिसका केन्द्र मिश्र बनाकर बाद में लीबिया को बनाया और पूर्व में ईरान अर्थात् पर्शिया (पर्शियन्स लोगों का देश) की ओर। इन तीनों ओर एक साथ विस्तार चला। जहां लूटपाट से काम चले लूट–पाट करना, वहां की स्त्रियों–लड़कियों से सम्बन्ध स्थापित कर अपने धर्म में मिलाना, कहीं–कहीं आक्रमण करना पड़े तो युद्ध करना और पहले अपने आप को अमन चैन का मसीहा बनाकर व्यापार करना, अपने को सूफी सन्त बनाकर लोगों के बीच रहने का विश्वास जीतना और मौका मिलते ही मस्जिदों का निर्माण करना फिर अपनी संख्या बढ़ाकर अपना असली रूप दिखाना। वहां के स्थाई निवासियों को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर देना। ये युक्तियां इस्लाम के विस्तार की प्रारम्भ से ही रही है। लेकिन पुरानी सभ्यताओं का दुर्भाग्य देखिए कि वे लोग समझ नहीं पाये और अब समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक राष्ट्र समाप्त हो चुके थे।

(लेखक इतिहास, भूगोल एवं भू-राजनीतिक के विशेषज्ञ एवं रा.स्व.संघ के मेरठ प्रांत सामाजिक सद्भाव प्रमुख हैं।)

ISSN No. 2581-3528

बड़ी उम्र बढ़ा सकती है, अविवाहित का संकट

प्रमोद भार्गव

भारत में अब लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी लड़कों के बराबर 21 वर्ष होने जा रही है।यह विधेयक कानून बनने के बाद सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष में बदल देगा। देशभर में इस निर्णय का स्वागत प्रगतिशील सोच के लोग कर रहे हैं,लेकिन संकीर्ण सोच के लोगों की भी कमी नहीं है।दरअसल यह नियम सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होगा।इसलिए खासतौर से मुसलमान इसे संविधान के अनुच्छेद–25 में मिली धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मान रहे हैं। विरोध भी इस हद तक कि लड़कियों के चरित्र पर सवाल खड़े करने लग गए।यह निहायत कुंठित सोच है। जबकि समाजवादी पार्टी के शफीकुर्रहमान बर्क जैसे सांसदो को आगे आकर 'हिंदू सरंक्षता अधिनियम–1956' और 'सरंक्षक–प्रतिपाल्य अधिनियम–1980' में बदलाव लाकर संतान की अवैधता से जुड़े कलंक को वैध ठहराए जाने की पहल करनी चाहिए थी,अविवाहित मातृत्व को वैधता मिले ?जिससे बाल विवाह पर अंकुश लगे और अनचाहे गर्भ में पलने वाले शिशु को भी सम्मान से जीने का विधान सम्मत अधिकार मिले।किंतु ऐसी कोई प्रगतिवादी फल करने की बजाय,उनका कहना है कि बाली उम्र बढ़ा देने से आवारगी बढ़ेगी।

भारत में एक जमाना था जब गर्भ में ही बच्चों की शादियां तय हो जाती थीं। बाल विवाह की इस कुरीति का आर्य समाज और राजा राममोहन राय ने जमकर विरोध किया। नतीजतन 1929 में शारदा एक्ट बना और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1978 में विवाह की उम्र बढाकर 18 वर्ष कर दी गई।कालांतर में ये दोनों ही क्रांतिकारी बदलाव अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुए। कम उम्र शादी हो जाने के कारण पैदा होने वाले कुपोषित बच्चों की मृत्यु दर में भारी गिरावट आ गई।1921 की जनगणना के अनुसार बाल विवाह के चलते प्रत्येक नई पीढ़ी में 32 लाख माँएं पुर्ण शारीरिक विकास नहीं होने के कारण असमय मर जाया करती थीं, वे बच गईं।दर्ज की गई।आजादी के बाद परिवार नियोजन के प्रति आई जागरूकता ने बच्चों की जन्म दर भी कम कर दी।यानी जनसंख्या नियंत्रित होती चली गई।यह सही है कि इस सब के बावजूद 2005 तक हरेक पांचवीं बालिका की शादी नाबालिग अवस्था में भी होती रही।2015–16 में बाल विवाह घटकर करीब 24 प्रतिशत रह गए।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण के अनुसार अभी भी पश्चिम बंगाल में 48.1, बिहार में 43.4 और झारखंड में 36.1 : लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ब्याही जा रही हैं।फलतः15 से 18 वर्ष तक की उम्र में माँ बनने वाली बालिकाओं की संख्या भी बढ़ रही है।त्रिपुरा में 21.6,पश्चिम बंगाल में 16.4,आंध्रप्रदेश में 12.6,असम में 11.7 और बिहार में बाल विवाह करने वाली 11 प्रतिशत बालिकाएं माँ बनने को मजबूर हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण में घोषणा की थी कि सरकार बेटे व बेटी के विवाह की उम्र में एकरूपता लाएगी।इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एक वर्ष पहले से जया जेटली की अध्यक्षता में आयोग गठित किया हुआ था ,जो इस मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन कर रहा था कि लड़कियों के विवाह की आयु लड़कों के बराबर की जाए या नहीं। आयोग ने अनुशंसा की कि विवाह की आयु बढ़ाने से लड़कियां अधिक पढ़ पाएंगी, उनका स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा और रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें बराबरी के मौके मिलेंगे।इस नाते भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि अब तक किसी अन्य देश में लड़कियों के विवाह की उम्र 21 नहीं है।चीन में 20 वर्ष तो अमेरिका–ब्रिटेन जैसे देशों में 18 वर्ष है। बेटियों को सशक्त करने के इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं।इसी कड़ी में अविवाहित मातृत्व या अवैध संतान को वैध ठहराने की सिफारिश राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार को कर चुका है, लेकिन इस प्रारूप ने अभी कानूनी शक्ल नहीं ली है।

समय और मूल्यों के परिवर्तन के इस दौर में समाज की सोच और समझ बदल रही है। अविवाहित मातृत्व और अवैध संतान का बढ़ता चलन एक चुनौती बन रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि वर्तमान 'हिंदू सरंक्षता अधिनियम–1956' और 'सरंक्षक–प्रतिपाल्य अधिनियम–1980' में बदलाव लाकर संतान की अवैधता से जुड़े कलंक को वैध ठहरा दिया जाए? इससे कचरे व नालियों में पड़े उन नवजातों को वैधता मिलेगी जो कभी–कभी कुत्तों और सुअरों का ग्रास बन जाते हैं। साथ ही अविवाहित मातृत्व का संत्रास भोगने और कुल–कलंकनी का दंश झेलने वाली उस स्त्री के मातृत्व को भी स्वीकार्यता मिलेगी, जो शिशु को अपने लहू से नौ माह कोख में पालने–पोषने के बावजूद फेंकने को विवश हो जाती है। वैसे भी कोख तो धरती की तरह वह उर्वरा भूमि हैं, जिसमें बीज पड़ेगा तो अंकुहित होगा ही।

चाहे–अनचाहे अविवाहित रहते हुए कोई स्त्री मां बन जाती है, तब भी उसका मातृत्व कतई संदिग्ध नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि वह अंततः वह उसी शारीरिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद माँ बनती है, जिस प्रक्रिया से विवाहित स्त्री पति के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करके गुजरती है। गोया, संतान अवैध कैसे हुई ? फिर चाहे वह विवाह से पहले, विवाह के बाद या फिर लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुई संतान हो ? संतान तो संतान है। इस लिहाज से सब संतानों में समता व एकरूपता है। अतएव सभी संतानें कानूनी रूप से समानता की अधिकारी हैं। कानूनी दृष्टि से एक बारगी अविवाहित मातृत्व के लिए स्त्री को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन कोई भी शिशु पैदा होने से पहले अपने मां–बाप या उनसे जैविक रिश्ते का फैसला नहीं ले सकता? तब उसे अवैध या वैध कैसे ठहराया जा सकता है ? इसी तर्क को महत्व देते हुए महिला आयोग ने हिंदू सरंक्षता अधिनियम–1956 के अनुभाग–6 बी से 'अवैध' शब्द विलोपित करने की मांग की है। इसकी जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि दुष्कर्म के चलते नाबालिग बालिकाएं भी अवैध संतानों को जन्म देने की दुविधा से गुजर रही हैं। ऐसे मामलों में कई मर्तबा 20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को गिराने की अनुमति अदालत से लेनी पड़ती है। ऐसे में पीड़ित स्त्री के साथ उसके

ISSN No. 2581-3528

अभिभावकों को भी मानसिक प्रताड़ना झेलनी होती है।

संतान की वैधता संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भी अनिवार्य है। इसके मुताबिक देश में 4.5 प्रतिशत घरों का दायित्व एकल माताएं चला रही हैं। इन माताओं की संख्या 1.3 करोड़ है। आयोग ने इस मांग से भी दो कदम आगे बढ़कर नैसर्गिक सरंक्षक की परिभाषा बदलने की भी मांग की है। अब तक पिता को पहले क्रम में और माता को दूसरे क्रम में स्वाभाविक या जैविक सरंक्षक माना जाता है। इसमें बदलाव लाकर पिता अथवा माता करने का प्रस्ताव आयोग ने दिया है। यह तर्क परित्यक्ता, दुष्कर्म–पीड़िता या फिर स्वेच्छा से अविवाहित मातृत्व स्वीकारने वाली महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज की यह विडंबना है कि आज भी पिता से जुड़े अधिकारों को ही अहमियत दी जाती है। हालांकि उन्मुक्त होते समाज में अब वास्तव में जैविक पिता कौन है, इस मांग की कानूनी लड़ाई अदालतों में लड़ी जाने लगी है।

अवैध संतानों की परवरिश, सरंक्षण और जैविक पिता की संपत्ति पर अधिकार की दृष्टि से ये लड़ाइयां अदालत की दहलीज तक पहुंचने लगी हैं। यह लड़ाई देशव्यापी चर्चा में पहली बार तब आई थी, जब प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नारायणदत्त तिवारी को उनके अवैध पुत्र रोहित शेखर ने अपना पिता घोषित करने का दावा सर्वोच्च न्यायालय में किया था। हालांकि अनेक यूरोपीय देशों में 12 वर्ष से बड़े बच्चों को स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने की कानूनी छूट है। तथाकथिक प्रगतिशील इसे भी भारत में लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जब विवाह की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा रही है तो ऐसी अनैतिक मांगों का क्या औचित्य है?

वरदान बनता अविवाहित मातृत्व

हमारे समाज में ऐसी सोच कम ही देखने को मिलती है, जो समाजिक रूप से लांछित एवं कानूनी रूप से अवैध स्थिति को वरदान में बदल दे। अभिशाप बनी जिंदगियों को सम्मान देने का यह काम गुजरात अंजार के डॉक्टर दंपति यामिनी-हितेष ने कर दिखाया है। कुंवारी माताओं और इनकी ममता के सरंक्षण-संवर्धन के लिए यह दंपति अपनी चिकित्सीय योगयता का उपयोग समाज के लिए एक यज्ञ मानकर कर रहे हैं। ये दंपत्ति अविवाहित रहते हुए मां बनीं सात लड़कियों के बच्चों को विधिवत गोद लेकर इनके पालक माता-पिता बन गए हैं। समाजिक उदारता के चलते विवाह से पहले देह की मर्यादाएं तो टूट रही हैं, लेकिन जब लड़की की मां बनने की स्थिति बन जाती है तो लड़की व उसके अभिभावकों पर पहाड़ टूट पड़ता है। चरित्र पर धब्बा एवं जिंदगी कलंक न बन जाए, इस डर से गर्भपात का रास्ता अपनाने के लिए परिजन मजबूर हो जाते हैं। डश्वक्टर हितेष-यामिनी के पास जब अभिशाप झेल रहीं ऐसी लड़कियां गर्भपात कराने आती हैं तो वे गर्भस्थ शिशु को जन्म देने के लिए समझाते हैं। परिजन मान भी जाते हैं। यदि मां नवजात को स्वीकार न करे तो यह दंपति बच्चे को बिना किसी झिझक के दत्तक संतान के रूप में कानूनी प्रक्रिया संपन्न कर गोद ले लेते हैं।

अविवाहित मातृत्व या अवैध संतान की समस्या नई नहीं है। आदि–अनादि काल में यह समस्या स्त्रियों ने झेली है और उनसे पैदा संतान सामाजिक उपेक्षा का दंश व उलाहना भोगने को विवश रही हैं। महाभारत युग में इस संत्रास को पांडवों की माता कुंती और उनकी कोख से अवैध संतान के रूप में जन्मे कर्ण ने आजीवन भोगा। जबकि कर्ण देवता के रूप में पूजे जाने वाले सूर्य के पुत्र थे। सूर्य तो कुंती से सहवास का सुख भोगकर दृश्य से अंतरध्यान हो गए, लेकिन कुंती का आंचल आजीवन कर्ण को ढंकने के लिए तरसता रहा। हमें इसी प्रकृति की दूसरी कथा जबाला पुत्र और सत्यकाम के रूप में मिलती है। 'छान्दोग्योपनिषद्' की इस कथा में जब सत्यकाम मां से अपने पिता का नाम व गौत्र जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है तो जबाला कहती है, 'मैं आश्रमों में ऋषियों की परिचर्या करती थी। उस दौरान कई पुरूष मेरे संपर्क में आते थे। इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम किससे उत्पन्न हुए।' इस कथा की विलक्षण्ता यह है कि इसमें अवैध संतान का न कर्ण की तरह परित्याग है और न ही मां–बेटे को परस्पर अस्वीकार की चुनौती है। इसलिए अवैध संतान होने के पश्चात भी उन्हें किसी किस्म का संत्रास भोगना नहीं पड़ा। प्रसिद्ध फिल्म व टीवी अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अविवाहित रहते हुए स्वेच्छा से मां बनने की चुनौती आज से लगभग 30 साल पहले स्वीकार की थी। इस दृष्टि से वे एक आदर्श मिसाल हैं।

इन उदाहरणों से यह संदेश मिलता है कि यदि संसद से इस प्रस्ताव को कानूनी रूप मिल जाता है तो समाज अवैध संतान के कोढ़ से मुक्त होता चला जाएगा। दरअसल वैदिक काल में शुरू हुई विवाह संस्था से पूर्व भारतवर्ष में यौन–शुचिता की अनिवार्यता नहीं थी। ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने जब अपनी मां को पर–पुरुष से संसर्ग बनाते देखा, तब पिता से शिकायत भी की पर उन्होंने कोई आपत्ति न जताते हुए, इसे सहजता से लिया। तत्पश्चात श्वेतकेतु ने वैवाहिक संस्था और सात–फेरों के जरिए सात वचनों की नींव रखी। तभी से स्त्री की यौनजन्य पवित्रता और विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतानों को ही वैधता का दर्जा दिया जाने लगा। हालांकि श्वेतकेतु की बनाई इस संस्था की सीमाएं अब दरक रही हैं। इसी का परिणाम है कि अदालतों में तलाक के मामलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

दरअसल जब तक स्त्रियां घरों की कौटुम्बिक व्यवस्था का हिस्सा होने के साथ, अशिक्षित थीं, तब तक वर्तमान नियमों की पालना को विवश थीं। तब अपवादस्वरूप कोई स्त्री देह की सीमा लांघती भी थी, तो दोनों पक्ष सामाजिक मान–मर्यादा का पालन करते थे। लेकिन अब स्त्री शिक्षा के लिए और फिर नौकरी के लिए अकेली संघर्ष कर रही है। परिवारों के छोटे और मध्यवर्गीय परिवार के ज्यादातर सदस्यों के नौकरीपेशा होने से अविवाहित स्त्री को पारिवारिक सदस्य का साथ असंभव हो गया है। ऐसे में पुरुष का साथ मिलने पर नाजुक पलों में तन का बहकना और अनचाहे मातृत्व को ग्रहण करना पड़ जाता है। कामेच्छा का पूर्ति स्त्री–पुरुष की एक नैसर्गिक जरूरत है और मातृत्व एक प्राकृतिक स्थिति। अंतर इतना है कि मातृत्व को प्रमाणिकता करने के शारीरिक लक्षण और तकनीकी उपाय भी हैं ,किंतु पितृत्व अछूता ही रहता है। अब नई समस्या मोबाइल तकनीक ने खड़ी कर दी है। इसने अस्वीकार संबंधों के साक्ष्यों को श्रव्य व दृश्य रूपों में सुरक्षित रखने के उपाय व उनका प्रसारण संभव कर दिया है। डीएनए टेस्ट से भी संतान के वास्तविक पिता की सच्चाई सामने आ जाती है। फलतः एकल मांओं और अवैध संतानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में अविवाहित मातृत्व से जन्मी संतान को वैधता दिया जाना वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में जरूरी है। साफ है, विवाह की उम्र बढ़ेगी तो अविवाहित मातृत्व का संकट भी बढ़कर गहराएगा।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

अचर्चित भारतीय महिला गणितज्ञ : नीना गुप्ता

डॉ. नीलम कुमारी

गणित–विज्ञान न केवल औद्योगिक क्रांति का बल्कि परवर्ती काल में हुई वैज्ञानिक उन्नति का भी केंद्र बिन्दु रहा है। भारतीय परम्परा में 'गणेश दैवज्ञ' ने अपने ग्रन्थ 'बुद्धिविलासिनी' में गणित की परिभाषा निम्नवत की है–

गण्यते संख्यायते तद्गणितम्। तत्प्रतिपादकत्वेन तत्संज्ञं शास्त्रं उच्यते।

(जो परिकलन करता और गिनता है, वह गणित है तथा वह विज्ञान जो इसका आधार है वह भी गणित कहलाता है।)

हमारे देश भारत ने सम्पूर्ण विश्व को आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर, सत्येन्द्रनाथ बोस, मतुकुमल्ली वी सुब्बाराव, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, सी आर राव, सी एस शेषाद्री जैसे उच्च कोटि के अनेकों गणितज्ञ दिए हैं। इसी कड़ी में भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता ने प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2021 (रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन) प्राप्तकर युवा गणितज्ञों के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य किया है।

गणितज्ञ
प्रोफेसर नीना गुप्ता

प्रायः गणित को कठिन विषय समझा जाता है, विशेषकर लड़कियों को इस विषय से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस धारणा को नीना गुप्ता ने गलत साबित किया है। नीना गुप्ता का जन्म वर्ष 1984 में कोलकाता में एक औसत भारतीय परिवार में हुआ था और वहीं उन्होंने खालसा हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने 2006 तक बेथ्यून कॉलेज में गणित में बीएससी (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2008 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया और बाद में 2011 में अपनी विशेषज्ञता के रूप में कम्प्यूटेटिव बीजगणित में पीएचडी की। उन्हें गणित विषय के लिए अपनी रूचि का एहसास बचपन में ही हो गया था और उसी के बाद उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया था। बाद में वह आईएसआई कोलकाता में सांख्यिकीय और गणित इकाई में एक सहयोगी प्रोफेसर बन गईं और जून 2014 से वहां काम करती हैं। नीना गुप्ता दिसंबर 2012 से जून 2014 तक आई.एस.आई. कोलकाता में इंस्पायर फैकल्टी और 2012 में टी.आई.एफ.आर. मुंबई में विजिटिंग फेलो भी रहीं।

भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई. एस. आई) की प्रोफेसर नीना गुप्ता, रामानुजन पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दुनिया की तीसरी महिला हैं। मंत्रालय के अनुसार नीना गुप्ता का नाम इतिहास में दर्ज किया जा चुका है क्योंकि यह पुरस्कार पाने वाली वह चौथी भारतीय और विश्व की तीसरी महिला हैं।

रामानुजन पुरस्कार से पूर्व भी उन्हें 2013 में, सकारात्मक चरित्र में जारिस्की रद्दीकरण समस्या पर उनके काम के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और टी.आई.एफ.आर. एलुमनी एसोसिएशन के सरस्वती कौसिक मेडल द्वारा एसोसिएटशिप से सम्मानित किया गया था। 2014 में, प्रोफेसर नीना गुप्ता को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से 'यंग साइंटिस्ट अवार्ड' मिला था, प्रोफेसर गुप्ता ने बीजगणितीय ज्यामिति के एक मौलिक सवाल, जारिस्की उत्सादन के सवाल को हल करने के लिए जो तरीका या समाधान बताया था उसके लिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का 2014 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। अकादमी ने उनके समाधान को 'हाल के वर्षों में कहीं भी किए गए बीज गणितीय ज्यामिति में सर्वश्रेष्ठ कार्य' बताया। आधुनिक बीज गणितीय ज्यामिति के सबसे प्रतिष्ठित संस्थापकों में सम्मिलित ऑस्कर जारिस्की ने समस्या 1949 में यह सवाल प्रस्तुत किया था। 2019 में, प्रोफेसर गुप्ता 35 वर्ष की आयु में 'शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार' प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गई थीं। उन्होंने 70 साल पुरानी गणित की पहेली – जारिस्की की रद्दीकरण समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया है, जिस पर अब 2021 में उन्हें यह प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। जारिस्की रद्दीकरण समस्या बीज गणितीय ज्यामिति की एक मूलभूत समस्या है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी गणितीय समस्या के रूप में वर्णित किया गया है। नीना गुप्ता के अपने शब्दों में, "रद्दीकरण समस्या पूछती है कि यदि आपके पास दो ज्यामितीय संरचनाओं पर सिलेंडर हैं, और जिनके समान रूप हैं, तो क्या कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मूल आधार संरचनाओं के समान रूप हैं?"

प्रोफेसर नीना गुप्ता का कहना है कि, "मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूं, हालांकि, यह पर्याप्त नहीं है। एक शोधकर्ता के रूप में, मुझे लगता है कि बहुत अधिक गणितीय समस्याएं हैं जिनका समाधान हमें खोजना है। इसके लिए मान्यता प्राप्त करना, निश्चित रूप से मुझे शोध क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है।"

भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) के साथ संयुक्त रूप से सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अब्दुस सलाम इंटरनेशनल

ISSN No. 2581-3528

सेंटर (ICTP) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

रामानुजन पुरस्कार हर साल विकासशील देशो में युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं और जिन्होंने विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध कार्य किया है। यह पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (ICTP) रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (ICTP) ट्राइस्टे द्वारा संचालित और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। यह पुरस्कार इटली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. इसके लिए फंड अल्बेल फंड के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं. रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है.

दुनिया भर के प्रख्यात गणितज्ञों को शामिल कर बनाई गई DST-ICTP-IMU रामानुजन पुरस्कार समिति ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रोफेसर गुप्ता का कार्य उनके प्रभावशाली बीजगणितीय कौशल और आविष्कारशीलता को दर्शाता है।

उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें देश–विदेश में सराहा जा रहा है। देश कि इस बेटी ने दुनिया में गणित के क्षेत्र में भारत का लोहा मनवाया है, परन्तु आश्चर्य है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली प्रतिभागी को जितना महत्त्व दिया गया उसके विपरीत देश की इस अप्रतिम प्रतिभा को उतना सम्मान और महत्त्व नहीं दिया गया। परन्तु फिर भी जब कभी भी भारत के महान गणितज्ञों कि चर्चा होगी उसमें देश की इस बेटी का नाम प्रमुखता से आएगा.....

दिशा दीप्त हो उठी प्राप्तकर
पुण्य–प्रकाश तुम्हारा,
लिखा जा चुका अनल–अक्षरों
में इतिहास तुम्हारा।

(लेखिका किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलज, सिम्भावली, हापुड में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं)

उत्सव मंथन

नीलम भागी

अमृतसर में छोटी पतंग को गुड्डी कहते हैं और बड़ी पतंग को गुड्डा कहते हैं। यहां लोहड़ी को पतंगबाजी देखने लायक होती है। इस दिन छुट्टी होती है। बाजार बंद रहते हैं। आसमान गुड्डे, गुड़ियों से भर जाता है। छतों पर माइक लगा कर कमैंट्री चलती है। मसलन लाल गुड्डी दा चिट्टे गुड़डे नाल पेंचा लड़दा पेया। लाल गुड्डी आई बो। (लाल और सफेद पतंग का पेच लड़ रहा है। लाल पतंग कट गई)। आई बो के साथ ही शोर मचता है। घरवालों को उनके खाने पीने की चिंता है तो छत पर पहुंचा दो, ये खा लेंगे, वरना भूखे मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन मोर्चा छोड़ कर नहीं जायेंगे, वहीं डटे रहेंगे। शाम को लोहड़ी जलाई जाती है। तब ये पतंगबाज, लोहड़ी मनाने, ढोल पर नाचने के लिए नीचे उतरकर आते हैं। बाकि बची पतंगे संक्रांति को उड़ाते हैं। यहां पर परंपरा का पालन जरुर किया जाता है। रात को सरसों का साग और गन्ने के रस की खीर घर में जरुर बनती हैं, जिसे अगले दिन मकर सक्रांति को खाया जाता है। इसके लिए कहते हैं 'पोह रिद्दी, माघ खादी'(पोष के महीने में बनाई और माघ के महीने में खाई) बाकि जो कुछ मरज़ी बनाओ, खाओ। हमारा कृषि प्रधान देश है। फसल का त्यौहार हैं। इस समय खेतों में गेहूं, सरसों, मटर और रस से भरे गन्ने की फसल लहलहा रही होती हैं। आग जला कर अग्नि देवता को तिल, चौली (चावल) गुड़ अर्पित करते हैं। परात में मूंगफली, रेवड़ी और भुनी मक्का के दाने, चिड़वा लेकर परिवार सहित अग्नि के चक्कर लगा कर थोड़ा अग्नि को अर्पित कर, प्रशाद खाते और बांटतें हैं। नई बहू के घर में आने पर और बेटा पैदा होने पर उनकी पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। भोज भी करते हैं। कड़ाके की सर्दी में आग के पास ढोलक पर उत्सव के अवसरों पर गाये जाने वाले अलिखित और अज्ञात रचनाकारों द्वारा रचित अनेकानेक लोकगीत सुनने को मिलते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा से सुरक्षित हैं। अगले दिन मकर संक्राति को खिचड़ी और तिल का दान करते हैं और खिचड़ी और तिल के लड्डू खाये जाते हैं। स्वाद से खाते हुए बुजुर्ग कवि बोलते हैं 'खिचड़ी तेरे चार यार, घी पापड़ दहीं अचार'।

क्योंकि देशभर में कई शहरों में पतंग मकर संक्रांति को उड़ाने की परंपरा है इसलिए इसे पतंग उत्सव भी कहते हैं। कुछ राज्यों जैसे तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में 'पतंग महोत्सव' मनाया जाता है। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दिन पतंगें उड़ाते हुए, कई घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक और त्वचा व

ISSN No. 2581-3528

हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है।

92 साल की अम्मा नींद में उठ कर बैठ गईं। बाजू में मैं सोती हूं इसलिए श्रोता भी मैं हूं। उन्हें पिछली बातें बहुत याद आती हैं। बताने लगी कि विवाह के बाद वे प्रयागराज पिताजी और दादी के साथ गईं। वे उस समय 17 साल की थीं और वहां वे 17 साल रहीं। माघ मेला लगा तो त्रिवेणी, संगम, गंगा जी, यमुना जी के किनारे निःशुल्क कुटिया इतनी बन गईं कि लगता जैसे कोई गांव बस गया। श्रद्धालु यहां कल्पवास करने आते हैं। कल्पवास में स्नान के साथ यहाँ ज्ञान यज्ञ भी होता है। इनका आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, इनका आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। ये आदरणीय लोग स्वेच्छा से न्यूनतम भौतिक साधनों पर जीवन निर्वाह करते हुए, पूरे समाज के सामने सादगी और त्याग का आदर्श रखते हैं। एक समय भोजन करते, ठंड के कारण जगह जगह अलाव जलाते हैं। सिंघाड़ा, शकरकंदी और आलू भून के खाते हैं। बेर्रे की रोटी (जौं चने की मिक्स रोटी), ज्यादा अरहर की दाल, चावल और नमुना (मिक्स वैजीटेबल) प्रायः इनका भोजन होता। कुछ लोग साथ में अपनी बकरियां भी लाते हैं। वहां जरुरत के सामान के लिए अस्थाई दुकानें भी लग जातीं। घर के लोग जब इन्हें मिलने आते तो वे भी अतिआवश्यक सामान दे जाते। रोज तो नहीं पर विशेष दिनों जैसे माघ पूर्णिमा, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी पर पिता जी के ऑफिस जाने के बाद, अम्मा को लेकर दादी, दो दो आने सवारी के तांगे पर बैठ कर, घर से लोकनाथ तक तांगे पर जाती और आगे पैदल जाकर गंगा स्नान और माघ मेला देख कर आतीं। अम्मा ये बता कर फिर से सो गईं। मैं उनके चेहरे पर आए भाव को देखती रही। वे बोलते हुए ऐसे लग रहीं थीं, जैसे अभी माघ मेले से लौटी हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार तीर्थ यात्रा जरुर करनी चाहिए।

पूर्वोत्तर भारत में भोगाली बिहू मनाते हैं। यह मकर संक्राति का उत्सव, माघ बिहू एक सप्ताह तक मनाया जाता हैं। मकर संक्रातिं की पूर्व संध्या को लकड़ी बांस, फूस आदि से मेजी बनाई जाती हैं। वहां पारंपरिक भोज बनाये और खाए जाते हैं। मकर संक्रातिं को सुबह मेजी की प्रदक्षिणा करके उसमें आग लगा दी जाती है। एक दूसरे को गमुछा (गमछा) भेंट करके प्रणाम करते हैं। चिड़वा, दहीं, गुड़ खाया जाता है। हुरुम (परमल), नारियल, तिल के लड्डू बनाते हैं। दावत में तिल नारियल का पीठा जरुर बनता है। भोगाली बिहू यानि माघ बिहू में अलाव जलाने और भोज खाने और खिलाने की परंपरा है। नये कपड़े पहनते हैं पर युवाओं का दूसरे के बाड़े से सब्जी चुरा कर तोड़ना शगल है।

नवान्न और सम्पन्नता लाने का त्यौहार पोंगल का इतिहास कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। दक्षिण भारतीय देश–विदेश में जहां भी रहते हैं। पोंगल उत्साह से मनाते हैं। इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि सूर्यदेव को जो प्रसाद अर्पित करते हैं वह पगल कहलाता है। तमिल भाषा में पोंगल का एक अर्थ है, अच्छी तरह उबालना। चार दिनों तक चलने वाले पोंगल में वर्षा, धूप, खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। जनवरी में चलने वाले पहली पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं जो देवराज इन्द्र (जो भोग विलास में मस्त रहते हैं) को समर्पित है। शाम को अपने घरों का पुराना कूड़ा, कपड़े लाकर आग लगा कर, उसके इर्द गिर्द युवा भोगी कोट्टम (एक प्रकार का ढोल जिसे भैंस के सींग से बजाते हैं)।

दूसरा पोंगल सूर्य देवता को निवेदित सूर्य पोंगल है। मिट्टी के बर्तन में नये धान, मूंग की दाल और गुड़ से बनी खीर और गन्ने के साथ, सूर्य देव की पूजा की जाती है।

तीसरा मट्टू पोंगल तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टु भगवान शंकर का बैल हैं जिसे उन्होंने पृथ्वी पर हमारे लिए अन्न पैदा करने को भेजा है। इस दिन बैल, गाय और बछड़ों को सजा कर उनकी पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे कनु पोंगल भी कहते हैं। बहनें भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करतीं हैं। भाई उन्हें उपहार देते हैं।

चौथा दिन कानुम पोंगल मनाया जाता है। इस दिन दरवाजे पर तोरण बनाए जाते हैं। महिलाएं मुख्यद्वार पर रंगोली बनाती हैं। नये कपड़े पहनते हैं। रात को सामुदायिक भोज होता है। तमिल की तन्दनानरामयण के अनुसार श्री राम ने मकर संक्रातिं को पतंग उड़ाई थी और उनकी पतंग इन्द्रलोक में चली गई। अब सागर तट पर लोग पतंग उड़ाते और धूप से मुफ्त में प्राप्त विटामिन डी का सेवन करते मिलेंगे। तमिलनाडु से जुड़े होने से यही दिन आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में संक्रान्ति के नाम से मनाया जाता है। केरल में राजा राजशेखर ने अयप्पा को देव अवतार मान कर सबरीमालाई में देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से डिजाइन करवा कर अयप्पा का मन्दिर बनवाया। ऋषि परशुराम ने उनकी मूर्ति की रचना की और मकर संक्रातिं को स्थापित की। आज भी यह प्रथा है कि हर साल मकर संक्रातिं के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूक में रख कर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। जो 90 किलोमीटर तीन दिन में सबरीमाला पहुंचती है। इस प्रकार मकर संक्राति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक हमें अलग अलग रुपों में दिखाई देती है। जिसमें प्रकृति के साथ मवेशियों का भी उपकार माना जाता है।

(लेखिका)

ISSN No. 2581-3528

घातक है आंदोलनों में निवेशकों की बढ़ती भूमिका और कम होती पारदर्शिता

आशीष कुमार 'अंशु'

जब आप यह लेख पढ़ रहे होंगे सिंघु बोर्डर से किसानों का टेंट उखड़ चुका होगा। किसान जा चुके होंगे लेकिन उनके पीछे यह सवाल रह जाएगा कि जिस मुकेश को उनके बीच जिन्दा जला दिया गया, दलित लखबीर सिंह जिसकी टुकड़ों में काटकर हत्या की गई, वह बेटी जो पश्चिम बंगाल से आंदोलन में शामिल होने आई थी और उसका किसानों के टेंट में बलात्कार हुआ। उनके परिवारों के भरण–पोषण की जिम्मेवारी क्या अब आंदोलन के नेता लेंगे? आंदोलन से जुड़े योगेन्द्र यादव के बयान से यह बात भी सामने आयी कि बंगाल की बेटी के साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी किसान नेताओं को थी।

अधिकांश देशवासियों का मानना है कि सिंघु बोर्डर पर किसानों के टेंट में सिर्फ पश्चिम बंगाल की निर्भया के साथ ही नहीं बल्कि लाखों किसानों के विश्वास के साथ बलात्कार हुआ। धीरे–धीरे इन डिजाइंड आंदोलनजीवियों से असली किसान दूर हो रहे थे और किसान बिल के विरोधियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। दिल्ली की सीमा पर लोगों का रास्ता रोक कर मुट्ठी भर किसानों ने जिद करके जिस तरह लाखों लोगों की जिन्दगी अस्त–व्यस्त कर रखी थी, यह किसी आंदोलन के नहीं बल्कि आंदोलन के नाम पर पक रहे किसी षडयंत्र के लक्षण थे। खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल, आईएसआई के लिए काम करने वाला पीटर फ्रेडरिक, मोनिका गिल, प्रीत कौर गिल, आसिस कौर, क्लाउडिया वेबबे जैसे भारत विरोधियों के बीच भारत में किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत को देखना क्या किसी भारतीय को पसंद आ सकता है?

जब प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानून निरस्त करने की घोषणा हुई उसके बाद 22 नवंबर 2021 को 'कौर (कोर) किसान' नाम के एक संगठन की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के अलावा ये सभी खालिस्तान और आईएसआई समर्थक भी शामिल हुए।

गुपचुप तरीके से हुए वेबिनार की यह खबर कभी सामने नहीं आ पाती। यह जानकारी 'व्हेयर–इज–प्रूफ' नाम के एक ट्विटर हैंडल और ऑप इंडिया नाम की खोजी वेबसाइट की वजह से सार्वजनिक हो पाई है। इस वेबिनार में हुए संवाद के संबंध में जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उससे यही लगता है कि राकेश टिकैत कथित आंदोलन के पुर्जा मात्र हैं। इस आंदोलन को चलाने के लिए खर्चा किसी और का है और राकेश टिकैत जिस बयान को मीडिया के सामने पढ़ रहे हैं वह पर्चा भी किसी और का है।

जूम मीटिंग में जिस संगठन की ओर से ये मीटिंग आयोजित की गई थी, उस 'कौर फार्मर्स' की मेजबान राज कौर ने टिकैत की खूब तारीफ की। खालिस्तानियों और आईएसआई के हक में यदि राकेश काम करेंगे तो उनके बीच प्रशंसा पाएंगे ही। 26 जनवरी 2021 को लाल किले के प्राचीर पर राकेश टिकैत समर्थकों का चढ़ जाना और दिल्ली में जगह–जगह हिंसा और अराजकता फैलाने की खबर आना, कौन भूल सकता है? उसके बाद यह आंदोलन खत्म मान लिया गया था। लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देकर प्रारंभ हुए आंदोलन के पास इतनी हिंसा फैलाने के बाद, आंदोलन को जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता था। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद यह आंदोलन जारी रहा।

नाटकीयता से पहले एक बात हुई थी। जिसकी चर्चा दिल्ली में मीडिया वालों के बीच हुई लेकिन वह खबर रिपोर्ट नहीं हुई। यदि वेबिनार का आडियो और स्क्रीनशॉट ऑप इंडिया के पास नहीं होता तो यह महत्वूपर्ण खबर भी रिपोर्ट नहीं हो पाती। जनवरी महीने के अंतिम तारीख को यह बात सामने आई कि राकेश टिकैत आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में थे लेकिन देश की सरकार को अस्थिर करने का यह आंदोलन जिनका टूल किट है, ऐसे कुछ लोग राकेश के टैन्ट में गए थे। उनके जाने के बाद ही राकेश मीडिया के सामने आकर रोए और लेफ्ट लिबरल मीडिया अचानक से सक्रिय हो गई। ऐसा लगा कि जिस आंदोलन ने नैतिक समर्थन खो दिया था, उसे खालिस्तानीबल ने एक बार फिर से खड़ा कर दिया। यदि राकेश टिकैत के टेन्ट में सीसी टीवी कैमरा होता तो यह खबर भी सिर्फ चर्चा में नहीं रहती। संभव है कि इसे एक प्रामाणिक आधार मिल पाता।

जब कृषि कानून निरस्त किए गए। उसके बाद भी टिकैत आंदोलन को खत्म ना करने के लिए मजबूर थे। ऐसा उनके बयानों से लग रहा था। मानों उन्होंने वर्ष 2022 और वर्ष 2024 तक किसानों के नाम पर प्रदर्शन के लिए किसी संगठन से एडवांस ले रखा हो। तीन कानून निरस्त होने के बाद राकेश ने खुशी नहीं जताई। वे अधिक दुखी दिखे। अब उनके एजेन्डे से तीन कृषि कानून का मुद्दा हट गया। अब वे एमएसपी, प्रदर्शनकारियों की मौत जैसे विषयों के साथ मैदान में आ डंटे थे। सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए पहल कर रही है, दूसरी तरफ राकेश जिनके साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं वो लोग इसे उलझाने की उन्हें नई–नई तरकीब बता रहे हैं।

दिल्ली से किसानों की वापसी हो रही है लेकिन राकेश टिकैत जैसे इनके नेता अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए फिर से सक्रिय होंगे। जब आंदोलन किसी परिवर्तन की जगह फंडिंग एजेन्सी का टूल बन जाए तो वह देश अैर समाज दोनों के लिए घातक बन जाता है। आज के समय में आंदोलन समाज के दम पर नहीं बल्कि एनजीओ और फंडिंग एजेन्सी के भरोसे पर टिके हैं। ऐसे में जो निवेश करेगा वह तो आंदोलन में अपनी चलाएगा भी फिर आंदोलन का स्वरुप आंदोलन कम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अधिक हो जाएगा। जहां किसान नेता कर्मचारी नजर आएंगे, आंदोलन में शामिल लोगों की आंदोलन में भागीदारी सिर्फ भीड़ बराबर रह जाएगी और पूरे आंदोलन पर नियंत्रण उसका होगा, जिसने निवेश किया है।

आंदोलनों में प्रारंभ हुई यह परंपरा बेहद खतरनाक है। यदि आंदोलनों के लेन–देन में पारदर्शिता नहीं रहेगी फिर आंदोलनकर्मी साफ–सुथरी राजनीति की मांग किस मुंह से करेंगे?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

भारत में आंदोलनों का इतिहास

भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है। विरोध-प्रदर्शनों के जरिए नागरिक अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकता हैं, जिससे जन सामान्य की बदलती आकांक्षाओं को समझने में सरकार को एक आधार मिलता है। जन आंदोलन लोकतंत्र की सशक्तता का प्रतीक हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो।

प्रतीक खरे

जब लोगों में बदलाव की इच्छा तीव्र होती है और सत्ता पूरी क्षमता से इसे दबाना चाहती है, तो बदलाव की यही इच्छा धीरे–धीरे जन आंदोलन का स्वरूप ले लेती है। जन आंदोलन के आगे सत्ता को झुकना ही पड़ता हैं। हालिया किसान आंदोलन इसका जीता जागता उदाहरण भी है। यह सिर्फ उदाहरण ही नहीं है अपितु लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब देश का प्रधान जो सरकार में पूर्ण बहुमत में हो, सत्ता के खोने का डर दूर–दूर तक न हो। वह अपने राष्ट्र के नाम उद्बोधन में उन तथाकथित किसानों से माफी मांगता है जो राजनीति एवं निःस्वार्थ के चलते किसानों की बलि चढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते है कि जो कानून किसानों के लिए है अगर किसानों का एक भी समूह इस से नाखुश है तो वह कानून की आत्मा को दूषित करता है।

यहीं कारण है कि कानून वापसी का घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, "मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र ह्रदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही हुई होगी जिसके कारण दीये के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।"

जरा विचार कीजिए जिस आन्दोलन के आंगन में हत्या, दुष्कर्म और लूट जैसे कृत हुए हो क्या वह आन्दोलन स्थल हो सकता है और जब जिम्मेदारी लेने बात आयी हो तो हम हाथ खड़े कर दें अपने आप को पाक साफ घोषित भी कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम अगर किसान आंदोलन की सफलता का श्रेय लेते है तो निःसन्देह उसकी असफलता का श्रेय भी हमें ही लेना पड़ेगा। चाहकर भी हम इससे बच नहीं सकते। क्योंकि इस दौरान जो हुआ वह कहीं से भी अच्छा नहीं था। यह आन्दोल के चाँद पर भाद्र माह की शुक्लपक्ष की चतुर्थी के चाँद की तरह कलंकित रहेगा।

भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ–साथ हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है। विरोध–प्रदर्शनों के जरिए नागरिक अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकता हैं, जिससे जन सामान्य की बदलती आकांक्षाओं को समझने में सरकार को एक आधार मिलता है। जन आंदोलन लोकतंत्र की सशक्तता का प्रतीक हैं। लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो। हमें पता ही नहीं चलता की हम अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हुए कब इतने आगे निकल जाते है कि उससे दूसरों के अधिकारों का हनन होने लगता है। देश की न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और हम उस परिस्थिति में भी अड़े रहते है। विचार कीजिए तब क्या हम यह कह पाएंगे की इस आंदोलन की आत्मा पवित्र है। यह एक जन आन्दोलन है। निःसन्देह आरोप तो लगेंगे ही।

वैसे भारत के इतिहास में जन आंदोलनों का बड़ा ही महत्व रहा है।

ISSN No. 2581-3528

चाहे वह आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन। इन आंदोलनों में देश के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को आईना दिखाया। परिणाम यह हुआ कि देश को आजादी मिल गई। जब–जब देश में दमनकारी नीति, नियम या कानून बनाया गया, देश की जनता सड़कों पर आई। जन आंदोलन बदलाव की वह तीव्र शक्ति होती है, जिसको नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। जब लोकतंत्र में मीडिया सत्ता के इर्द–गिर्द घूम रहा है, तब देश की जनता के पास अपनी आवाज सत्ता के हुक्मरानों तक पहुंचाने का एक रास्ता बचता है और वह होता है आंदोलन। जन आंदोलन के जरिए सरकार को यह स्मरण कराया जाता है कि यह देश लोकतांत्रिक देश है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही देश में हुए प्रमुख जन आन्दोलन की।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन् 1857 का विद्रोह : यह भारत का ब्रिटिश के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह था। 10 मई 1857 की संध्या में मेरठ की छावनी से उठी यह चिंगारी दो वर्ष तक देश के विभिन्न कोनों–कोनों तक पहुँच गयी थी।

नील विद्रोह : सन् 1859 से 1860 ई. तक नील किसान और अंग्रेजों के मध्य पहला संगठित आंदोलन चलाया गया जिसे नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पहले बिहार और बंगाल में बहुतायत नील की खेती की जाती थी जिससे अंग्रेज बनिये खूब धन कमाते थे और वे संथाल मजदूरों का भरपूर शोषण करते थे। जिसके कारण शोषित मजदूरों ने विद्रोह कर दिया।

कूका विद्रोह : सिख संप्रदाय के नामधारी कूके लोगों के सशस्त्र विद्रोह को 'कूका विद्रोह' के नाम से जाता है। सन् 1857 ई. गुरु राम सिंहजी के नेतृत्व में कूका विद्रोह हुआ। कूका के लोगों ने पूरे पंजाब को बीस–बीस जिलों में विभाजित किया और अपनी समानांतर सरकार बनाई। कुके वीर की संख्या सात लाख से ऊपर थी। अधूरी तैयारी में विद्रोह भड़क उठा और इसीलिए इसे दबा दिया गया।

वासुदेव बलवंत फड़के के मुक्ति प्रयास : सन् 1875 से 1879 में महाराष्ट्र वासुदेव बलवन्त फड़के ने रामोशी, नाइक, धनगर और भील जातियों को संगठित करके उनकी एक सुसज्जित सेना बनायी और अंग्रेजों के विरुद्ध कई सफल लड़ाईयां लड़ी। इस सेना अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था।

असहयोग आंदोलन : असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों में न जाएं। संक्षेप में, सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों को छोड़ने के लिए कहा गया था। गांधीजी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए, तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज हासिल कर लेगा।

पूर्ण स्वराज की मांग : वर्ष 1929 को तत्कालीन भारत के लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने रावी अधिवेशन का आयोजन किया था। इसी अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य में सामने पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कांग्रेस की इस मांग के कारण पूरा ब्रिटिश राजतन्त्र हिल गया था।

सविनय अवज्ञा आंदोलन/दांडी मार्च : असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद सन् 1930 ई. में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गाँधी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। इस आंदोलन की शुरुआत गाँधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा वसूले जा रहे नमक कर के खिलाफ दांडी मार्च निकाल के की थी। इसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। गाँधी जी ने 12 मार्च 1930 को सुबह साबरमती आश्रम से 78 अन्य लोगों के साथ मिल कर नमक कानून के खिलाफ मार्च शुरू किया और 06 अप्रैल 1930 को 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचे। वहां गाँधी जी ने नमक बनाकर, नमक कानून का उलंघन किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे एक साल तक चला और 1931 को गांधी–इर्विन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया।

भारत छोड़ो आंदोलन : 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से एक आंदोलन था। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व प्रसिद्ध काकोरी की घटना के ठीक सत्रह साल बाद 7 अगस्त 1962 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ इसकी शुरुआत हुई। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत को तुरंत आजाद कराने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन में क्रांतिकारियों के साथ–साथ पूरे देश की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी शासन को इस आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया पड़ा फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया।

जेपी आंदोलन – 1975 25 जून 1975 की मध्यरात्रि जब इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान इमरजेंसी लगा दी गई थी, तब देश भर के छात्र आंदोलित हुए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खासकर उत्तर भारत में हजारों और लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे थे। हजारों छात्रों को जेल में ठूंसा गया था और बाद में इस आंदोलन से देश के कई अहम नेता स्थापित हुए। जिसे हम जेपी आन्दोलन के नाम से भी जानते है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन – 1985 : आदिवासियों, किसानों, पर्यावरण प्रेमियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एकजुट इकाइयां इस सालों लंबे आंदोलन से जुड़ती चली गईं। समय समय पर इस आंदोलन से कई सेलिब्रिटी जुड़ते रहे। नर्मदा नदी पर कई बांधों के विरोध में इस आंदोलन के तहत कई बार भूख हड़ताल और हजारों की संख्या में मार्च होते रहे। इस आंदोलन के चलते ही सरकारों को बांधों का काम रोककर पहले पुनर्वास संबंधी काम करने पड़े थे।

जन लोकपाल बिल – 2011 : 5 अप्रैल 2011 को भ्रष्टाचार के विरोध में एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर–मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। पूरा देश हजारे के साथ जुड़ा और अंजाम यह हुआ कि शरद पवार समेत कुछ और केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। टाइम मैगजीन ने इस आंदोलन को 2011 की 10 सबसे बड़ी घटनाओं में शुमार किया तो इसे भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद अहम मोड़ माना गया।

किसान आन्दोलन – 2020 : तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। यह आन्दोलन लगभग 378 दिन तक चला।

(लेखक युवा पत्रकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

बालासाहब देवरस
व्यायामशाला से सरसंघचालक का सफर

मोहित कुमार

रक्तपिपासु सांप्रदायिक ऐसा हिंदू धर्म नहीं है
परपीड़न का भाव हो जिसमें ऐसा हिंदू कर्म नहीं,
आक्रांताओं पर यह हिंदू गांठ बांध लो नरम नहीं,
सब धर्मों को हृदय लगाया सास्वत दिल है चर्म नहीं,
राष्ट्रप्रेम के अंतर ज्वाला हर मन में दहकाता है,
सत्य स्वरूपम चैतन्य रूपम हिंदू ही कहलाता है,
याद करो वह हिंदू है जो नारी को सम्मान दिया,
याद करो वह हिंदू है जो विश्व को अक्षर ज्ञान दिया
याद करो वह हिंदू है जिसने सिद्धांत रचाया है।।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रमुख चेहरा बाला साहेब देवरस जी का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की 11 दिसंबर 1915 को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में माता और पिता ने मधुकर दत्तात्रेय के नाम से पुकारना प्रारंभ किया। शिक्षा–दीक्षा के साथ उनकी विचारधारा राष्ट्र के प्रति सुदृढ़ होती गई। पढ़ाई के साथ उन्होंने कई जनहित कार्यों को अंजाम दिया। परिवार चाहता था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर भारतीय सिविल सर्विस की तैयारी करें। जिससे घर की आर्थिक स्थितियों का बेहतर सुधार कर सकें। दरअसल माता–पिता का मार्गदर्शन भले ही उन्हें नौकरी की तरफ खींचने का प्रयत्न कर रहा हो लेकिन उनकी विचारधारा हिंदु एकता के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव की तरफ गहनता से बढ़ती जा रही थी। दत्तात्रेय देवरस जी ने अपनी शुरुआती परीक्षा नागपुर से प्रारंभ की। लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अनाथ बस्तियों में जाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना शुरु किया। उस समय उनका परिवार नागपुर के इतवारी में रहती था। वहीं उन्होंने पास की व्यायामशाला में जाना प्रारंभ किया। दत्तात्रेय जी का व्यायामशाला के दौरान हिंदुत्व विचारक और राष्ट्र समर्थक डॉ. हेडगेवार जी से मुलाकात हुई। मान्य डाक्टर साहब का शीर्ष नेतृत्व

ISSN No. 2581-3528

मिलने के साथ उन्हें राष्ट्र के प्रति सजगता का मूल मंत्र भी मिला। 1925 में संघ की शाखा की नींव रखी गई। शाखा का मुख्य उत्तरदायित्व डॉक्टर साहब ने निभाया। विधि का चक्र जब घूमता है तो किसी समानता या एकता को बढ़ने में समय नहीं लगता है। देवरस जी ने संघ के प्रति अपना समर्पण कर दिया। धीरे–धीरे दत्तात्रेय से बाला साहेब देवरस की भूमिका में नगर कार्यवाहक का उत्तरदायित्व संभालने लगे। 1965 में उनकी लगनता और ईमानदारी के कारण पदभार ऊचें पायदान पर पहुंचा दिया गया। दरअसल उनको सरकार्यवाह बना दिया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने 1973 तक बखूबी निभाया।

संघ में बालासाहेब ने अपना उत्तरदायित्व को ईमानदारी और समझदारी से निभाया। डाक्टर साहब का भरोसा बालासाहेब देवरस के प्रति बढ़ता चला गया। उनकी छवि में डॉक्टर हेडगेवार की छवि स्पष्ट झलकने लगी थी। बता दें कि, बाला साहेब देवरस उन लोगों में से थे जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ नागपुर की पहली शाखा 'मोहिते बाड़ा' से संघ की शुरुआत की थी। देवरस जी का प्रशिक्षण भी खुद डॉक्टर जी के हाथों हुआ था शायद यही कारण था कि देश के अधिकतर स्वयंसेवकों को बाला साहेब देवरस में ही डॉक्टर साहेब की छवि नजर आती थी। ऐसा माना जाता है कि देवरस जी के परिवार की इच्छा थी की दत्तात्रेय नौकरी करें। बालासाहेब की आत्मिक इच्छा राष्ट्र के प्रति इतनी बढ़ चुकी थी, जिससे उन्हें जनहित और समाज सेवा के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिर वहीं किया जो उनके लक्ष्य में निर्धारित था। संघ के प्रति दृढ़ता से कार्य करते हुए उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। आपातकाल में सरकार की नजर संघ की तरफ थी। उस समय संघ की कार्यबद्धता पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इसके साथ कुछ स्वयं सेवकों की गिरफ्तारी भी शुरु कर दी गई थी। बालासाहेब ने अपनी कर्मठता से संघ की प्रतिष्ठा को बचाया। एकजुटता से सरकार के विरोध में खड़े हुए, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा।

उल्लेखनीय है, वर्ष 1932 तक बाला साहेब देवरस को संघ में बड़ी भूमिका मिल चुकी थी, वह संघ के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी उतनी ही रुचि रखते थे। सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के आग्रह पर उन्होंने एक अनाथ विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना शुरु कर दिया था। वर्ष 1937 में पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था जहां देवरस जी को मुख्य शिक्षक की जिम्मेदारी दी गयी उस समय प्रशिक्षण वर्ग 40 दिनों का हुआ करता था।

डॉक्टर साहेब को यह भली भांति ज्ञात था कि बाला साहेब देवरस एक ईमानदार और राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति हैं इसलिए यह संघ के लिए पूर्णकालिक स्वयंसेवक रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक गुरुजी के स्वर्गवास के बाद बाला साहेब देवरस को सरसंघचालक का दायित्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी ने शरीर त्यागने से पहले एक पत्र में यह इच्छा जाहिर की थी कि उनके बाद बाला साहेब देवरस को ही संघ का दायित्व दिया जाए और संघ ने गुरु जी की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए बाला साहेब देवरस को सरसंघचालक का दायित्व दिया। बालासाहेब ने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में नए किरण डालने का काम किया। संघ की प्रमुख जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने गरीबी और पिछड़े लोगों की तरफ विशेष ध्यान केंद्रित किया। इतना ही नहीं बालासाहेब ने दहेज प्रथा, छुआछूत और अन्य भेदभाव को समाप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष किया था।

दरअसल पहले संघ की शाखाएं 6 दिनों की लगती थी और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता था और श्रावण महीने में सोमवार को भी छुट्टी होती थी लेकिन देवरस जी को जब नागपुर के प्रभारी का दायित्व मिला तो उन्होंने रविवार और सोमवार के लिए भी गतिविधियां आरंभ कर दी और धीरे–धीरे संघ की शाखा 7 दिनों की कर दी गई। उसी दौरान से आज तक संघ की शाखाएं साल के 365 दिन आरंभ रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घोष तथा 'समूह गान' की प्रथा भी बाला साहेब देवरस के नेतृत्व में शुरु किया गया। वर्ष 1937 में विजयादशमी उत्सव के दौरान नागपुर में करीब 2 हजार स्वयंसेवकों ने एक साथ 5 सामूहिक गीत प्रस्तुत किये थे जो अपने आप में अद्भुत था। इस उत्सव के दौरान सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गये थे और यहीं से संघ में घोष व समूह गान का प्रचलन भी प्रारंभ किया था।

जातीय भेदभाव को लेकर बालासाहेब की आश्चर्यजनक घटना

बालासाहेब के जीवन काल की वो सत्यात्मक घटना जो आज तक प्रेरणा का स्त्रोत बनी हुई है। एक बार की घटना है देवरस जी शाखा के कुछ मित्रों को घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहते थे लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी मां से इस बात का भरोसा लिया कि घर पर आए किसी भी मित्र से उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी और सभी को एक समान बर्तन में खाना खिलाया जायेगा। देवरस जी ने अपनी मां से कहा कि उनके दोस्तों को खाने के साथ साथ इज्जत भी मिलनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। इस घटना के बाद से उनके घर पर किसी की जाति कभी नहीं पूछी गयी और सभी को एक समान सम्मान दिया जाने लगा। बाला साहेब देवरस ने कई बार अपने व्याख्यान में इस बात का जिक्र किया कि छुआछूत एक अभिशाप है और इसे जल्दी खत्म करना होगा अन्यथा यह समाज को बहुत तेजी से बांटने का काम करेगा। बाला साहेब देवरस ने अपने 21 वर्षों के सरसंघचालक के कार्यकाल के दौरान जाति आधारित भेदभाव का जमकर विरोध किया। बाला साहेब की कर्मठता के कारण उनकी क्षवि राष्ट्र चिंतक, दृढ़ स्तम्भ कारी और जनसंघ के शिल्पकार के रूप में देखी जाने लगी। इसके साथ ही देवरस जी को हिंदु एकता और राष्ट्र परिवर्तन के रूप में बड़ा प्रतिष्ठित शख्सियत और मार्गदर्शक के रूप में आज भी याद किया जाता है। जनसंघ के लिए विशेष योगदान देने वाले देवरस जी का यह स्वप्न था कि जनसंघ का कोई देश का प्रधानमंत्री बने और उनकी यह इच्छा भी जिंदगी के आखिरी समय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी कर दी। बालसाहेब देवरस जी की भारत–पाकिस्तान, भारत–चीन युद्ध, 1975 का आपातकाल, जनता पार्टी का उदय, पंजाब में चरमपंथी, दलितों का इस्लाम में सामूहिक कन्वर्जन, इंदिरा गांधी की हत्या और राम जन्म भूमि आंदोलन जैसे कई बड़े परिवर्तन देश में देखने को मिले थे जिसमें बाला साहेब देवरस की अहम भूमिका रही।

(लेखक आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के छात्र हैं)

ISSN No. 2581-3528

मीडिया सुर्खियां

21 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक

21 नवम्बर : INS विशाखापट्टन भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75 फीसदी स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया था, जबकि इसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये नौसेना के प्रोजेक्ट पी 15 बी का हिस्सा है।

22 नवम्बर : एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि सीएए, एनआरसी पर सरकार यदि आगे बढ़ी तो यूपी की सड़कों को दिल्ली के शाहीन बाग जैसा बना देंगे।

23 नवम्बर : जम्मू–कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कलास को 2019 में पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शामिल होने और उन्हें खत्म करने में अनुकरणीय साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।

24 नवम्बर : भारत अपने पड़ोसी देशों को हर संभव मदद करने में विश्वास करता है। चाहे वह मानवीय मदद हो या सुरक्षा के लिहाज से उन देशों के सैन्य बलों का प्रशिक्षण। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने हाल ही में बांग्लादेश की नौसेना के कमांडो को स्कॉयडाइविंग की ट्रेनिंग दी है।

25 नवम्बर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव जेवर में रखी है। नोएडा इंटरनेश्नल एयरपोर्ट के साथ ही यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पांच इंटरनेश्नल एयरपोर्ट हैं। 34 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। 6 हजार 200 हेक्टेयर इलाके में बन रहे इस एयरपोर्ट में 5 रन वे और 2 टर्मिनल होंगे।

26 नवम्बर : आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की खास अहमियत है। दरअसल यही वह दिन है, जब गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था।

27 नवम्बर : दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। एमसीडी कर्मचारियों को मुर्गा बनाने के मामले में उनके खिलाफ शाहीन बाग थाने में कांग्रेस के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

28 नवम्बर : बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को 'आईएसआईएस कश्मीर' से तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली पुलिस में कथित आतंकी संगठन के जासूस पूर्व क्रिकेटर पर नजर रख रहे हैं। ईमेल में डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान का जिक्र है, जिन्होंने धमकी भरे ईमेल के बारे में पहले मीडिया से बात की थी।

♦ भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम–इंफाल रेल परियोजना का हिस्सा है। रेलवे की यह महात्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्राड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी।

29 नवम्बर : जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बनाया गया। उन्होंने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की।

♦ संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के लिए वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।

30 नवम्बर : उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बिल वापस लेने का फैसला किया है। राज्य में इसे लेकर बीते 22 महीने से विरोध–प्रदर्शन के बीच यह फैसला लिया गया है।

01 दिसम्बर : AMU के पीएचडी छात्र दानिश रहीम को पीएम मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया है। PHD स्कॉलर ने AMU प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने उन्हें पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। दानिश ने इस मामले को लेकर HC में गुहार लगाई है और साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी से भी मदद की अपील की है।

02 दिसम्बर : देश के वस्तुओं का निर्यात नवंबर में 26.49 प्रतिशत बढ़कर 29.88 अरब डॉलर रहा। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, रसायन और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्र में अच्छी वृद्धि से निर्यात बढ़ा है।

04 दिसम्बर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून–दिल्ली के बीच एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। साथ ही लगभग 18,000 करोड रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखी

ISSN No. 2581-3528

और लोकार्पण किया।

05 दिसम्बर : नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करवाने के लिए संघर्ष जारी रखने की बात करते हुए कहा कि हम अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं।

06 दिसम्बर : विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ हरियाणा में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि मुनव्वर के गुरुग्राम में होने वाले आगामी शो पर रोक लगाई जाए।

♦ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने आज इस्लाम त्यागकर सनातन धर्म अपना लिया है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में महंत नरसिंहानंद ने रिजवी को हिंदू धर्म ग्रहण करवाया और धार्मिक अनुष्ठान के साथ वसीम रिजवी हिंदू बने।

07 दिसम्बर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इसमें गोरखपुर एम्स, खाद कारखाना और क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च संस्थान शामिल हैं।

♦ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के सफल परिणाम देखने को मिल रहा है। अब तक 17 करोड़ से अधिक टीकाकरण कर उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है।

08 दिसम्बर : तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, इस हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया।

♦ राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगा मामले में कोर्ट ने पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले व्यक्ति शाहरूख पठान पर 'हत्या के प्रयास' का आरोप तय किया है।

10 दिसम्बर : देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर का आज अंतिम संस्कार हो गया। उन्हें आखिरी विदाई में 17 तोपों की सलामी दी गई।

11 दिसम्बर : सऊदी अरब सरकार ने तब्लीगी जमात को प्रतिबन्धित कर दिया है। सरकार का कहना है यह आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। जिसके बाद भारत में इसे प्रतिबन्धित करने मांग उठ रही है।

12 दिसम्बर : करीब 13 महीने चला किसानों का लम्बा आन्दोलन आज खत्म हो गया है और दिल्ली की सीमाओं से वह लगातार घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। इसके साथ ही एनसीआर की वह सड़कें खुल सकेंगी जो आंदोलन की वजह से बंद थी।

13 दिसम्बर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

♦ भारत ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की। ओडिशा में बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

14 दिसम्बर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 दिसम्बर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में कुल स्वीकृति पदों में से 41,177 यानी 5 फीसदी पद खाली थे। बता दें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में कुल 8,05,986 से अधिक स्वीकृत पद हैं।

15 दिसम्बर : पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को UNESCO की 'अमूर्त विरासत सूची' में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का विषय करार दिया।

16 दिसम्बर : मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान किया। केरल विधानसभा चुनाव में पलक्कड़ चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे। लेकिन वे चुनाव जीतने में असफल रहे।

17 दिसम्बर : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत बनाया गया है।

18 दिसम्बर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूपी के शाहजहांपुर में 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस–वे का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को सम्बोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, 'पहले की सरकारें बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थीं ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें।'

♦ स्वर्ण मन्दिर में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी का मामले में कथित लिंचिंग में एक शख्स की मौत हो गई। पंजाब पुलिस का कहना है कि इस केस की गहराई से जांच की जा रही है।

19 दिसम्बर : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में पुरातत्वविदों ने बौद्ध काल में बने एक 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। इसके अलावा पुरातत्वविदों ने बौद्धकालीन 2700 से ज्यादा अन्य कलाकृतियां भी मिली हैं।

20 दिसम्बर : उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10, 12 और सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वालों को टैबलेट दिए जाएंगे, इस बात की घोषणा राज्य के सीएम पुष्कर धामी ने की है।

♦ जौनपुर में 1500 करोड़ की लागत से बनने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास करते हुए नितिन गडकरी ने दावा किया है कि अगर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनकर आते हैं तो प्रदेश की सड़कों को अमेरिकन स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा।

संयोजन : प्रतीक खरे ■

ISSN No. 2581-3528

प्रेरणा दिवस : जनवरी माह

03 जनवरी – जन्मतिथि : सावित्री बाई फुले – महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयागांव में जन्मी फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी।

05 जनवरी – जन्मतिथि : परमहंस योगानंद – 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। यह प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया।

06 जनवरी – पुण्यतिथि : डॉ. प्रमोदकरण सेठी (जयपुर फुट के निर्माता) – जयपुरिया पैर (कृत्रिम पैर) का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक थे, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व पद्मश्री से सम्मानित थे।

07 जनवरी : विवेकानंद केंद्र स्थापना दिवस – स्वामी विवेकानन्द के सिद्धान्तों को प्रसारित करने के उद्देश्य से स्थापित एक हिन्दू आध्यात्मिक संस्था है। महान विचारक स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर संगठन की स्थापना की गयी। सन् 1972 में एकनाथ जी रानाडे ने इसकी स्थापना की।

09 जनवरी – पुण्यतिथि : स्वतंत्रता सेनानी सर छोटूराम : भारत के स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता थे।

11 जनवरी – पुण्यतिथि : लाल बहादुर शास्त्री – भारत के दूसरे प्रधानमन्त्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग अठारह महीने भारत के प्रधानमन्त्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

12 जनवरी – जन्मतिथि : स्वामी विवेकानंद – विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था।

जन्मतिथि : मां जीजाबाई – महान शूरवीर शिवाजी की माँ का नाम 'जीजाबाई' था।

जन्मतिथि : महर्षि महेश योगी – उन्होने महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जिसके माध्यम से 'आनलाइन' शिक्षा दी जाती है। वे साप्ताहिक विडियो पत्रकार वार्ता आयोजित करते हैं। वे महर्षि प्रसारण के लिये उपग्रह व अन्तरजाल का सहारा लेते हैं।

14 जनवरी : जन्मतिथि : स्वामी रामभद्राचार्य– प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद्, बहुभाषाविद्, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिन्दू धर्मगुरु हैं।

15 जनवरी : थल सेना दिवस

17 जनवरी : रांगेय राघव बलिदान दिवस – रामसिंह कूका और उनके गोभक्त शिष्य 17 जनवरी, 1872 की प्रातः ग्राम जमालपुर (मालेरकोटला, पंजाब) के मैदान में 50 गोभक्त सिखों को मृत्युदण्ड दिया गया था।

18 जनवरी – जन्मतिथि : महादेव गोविंद रानाडे – ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज–सुधारक थे।

19 जनवरी – पुण्यतिथि : महाराणा प्रताप – उदयपुर, मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ प्रण के लिये अमर है।

20 जनवरी – पुण्यतिथि : ठक्कर बप्पा – इनका पूरा नाम अमृतलाल ठक्कर था। वे भारत के स्वतंत्राता संग्राम सेनानी और समाज सेवी थे। महात्मा गांधी ने इन्हें प्यार से 'बापा' कह कर पुकारा था। फिर ये बापा हो गए।

21 जनवरी– बलिदान दिवस : हेमू कालाणी– स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया।

22 जनवरी – जन्मतिथि : क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह – भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के क्रान्तिवीर थे।

23 जनवरी – जन्मतिथि : सुभाष चंद्र बोस – भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिये, उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिन्द फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा' का नारा भी उनका था।

24 जनवरी – इस दिन भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन, अधिनायक जय हे' को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। मूल रूप से बंगाली में लिखे गए इस गीत की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।

पुण्यतिथि : होमी जहांगीर भाभा – भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे। वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसन्धान आरम्भ किया।

25 जनवरी : राष्ट्रीय मतदाता दिवस – मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था। इस दिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' का शुभारंभ किया। इसका आरम्भ 1950 में चुनाव आयोग के 61 वें स्थापना दिवस पर हुआ। साल 2011 के पहले यह दिन अस्तित्व में नहीं था।

27 जनवरी – पुण्यतिथि : श्याम नारायण पाण्डेय – वीर रस के सुविख्यात हिन्दी कवि थे।

28 जनवरी – जन्मतिथि : लाला लाजपत राय – भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है।

जन्मतिथि : विद्यानिवास मिश्र – संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान, जाने–माने भाषाविद्, हिन्दी साहित्यकार थे।

29 जनवरी – जन्मतिथि : रज्जू भैया – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक थे।

30 जनवरी – पुण्यतिथि : महात्मा गांधी– मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। **–डेस्क** ■

उत्तर प्रदेश सरकार

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

1 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन का उपहार

युवाओं के साथ योगी सरकार

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- पीएम स्वनिधि योजना

- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
- एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना

- स्टार्टअप इंडिया
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- स्किल इंडिया

मिशन रोज़गार

एक जनपद एक उत्पाद

UDYAM सारथी APP

सोच ईमानदार, काम दमदार

सरस्वती शिशु मन्दिर

सी–41, सेक्टर–12, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, (उ.प्र.)
दूरभाष: 0120–4545608
ई–मेल : ssm.noida@gmail.com वैबसाइड:. www.ssmnoida.in

विद्यालय की विशेषताएँ

* भारतीय संस्कृति पर आधारित व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का प्रयास।
* नवीन तकनिकी शिक्षा प्रोजैक्टर, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी., कैमरा आदि की सुविधा।
* आर.ओ. का शुद्ध पेय जल, सौर ऊर्जा, विशाल क्रीड़ा स्थल व हरियाली का समुचित प्रबन्ध।
* प्रखर देशभक्ति के संस्कारों से युक्त उत्तम मानवीय व चारित्रिक गुणों के विकास पर बल।
* सामाजिक चेतना एवं समरसता के विकास के लिए विविध क्रियाकलाप।
* विद्यालय को श्रेष्ठतम बनाने की दृष्टि से आपके सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

मधुसूदन दादू	प्रदीप भारद्वाज	असित त्यागी	प्रकाश वीर
(अध्यक्ष)	(व्यवस्थापक)	(कोषाध्यक्ष)	(प्रधानाचार्य)